2011 का विधेयक संख्यांक .

[दि प्रिवेन्शन ऑफ कम्युनल एंड टार्गेटेड वायलेंस (एक्सेस टु जस्टिस एंड रेपेरेशन्स) बिल, 2011 का हिन्दी अनुवाद]

साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा निवारण (न्याय तक पहुंच और हानिपूर्ति) विधेयक, 2011

केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर कर्तव्य अधिरोपित करके, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के अधिकार का सम्मान, संरक्षण करना और उसे पूरा करना, लक्ष्यित हिंसा, जिसके अंतर्गत भारत संघ के किसी राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों और भारत के किसी राज्य में भा-नायी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बडे पैमाने पर हिंसा भी है, को रोकने और नियंत्रित करने के लिए नि-पक्ष रूप से और बिना किसी भेदभावपूर्ण रीति में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने, इस प्रकार धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र को बनाए रखने ; अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वे-ण, अभियोजन और विचारण के प्रभावी माध्यम से इन संवेदनशील समुहों की न्याय और संरक्षण तक नि-पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित करने ; सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा से प्रभावित सभी व्यक्तियों को पुन– रुद्धारात्मक अनुतो-न और क्षतिपूर्ति, जिसमें पुर्नवास और प्रतिपूर्ति भी है, के लिए उपबंध करने और उससे संबंधित तथा उसके आनु-ंगिक वि-नयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें व-र्ा में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा (न्याय तक पहुंच और हानिपूर्ति) अधिनियम, 2011" है ।

(2) इसका विस्तार सिवाए जम्मू--कश्मीर राज्य के संपूर्ण भारत में है :

(3) यह इस अधिनियम के पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रवृत्त होगा ।

ऐसे अपराधों के लिए दंड, जो भारत के बाहर कारित किए गए हैं किंतु जिनका विचारण विधि द्वारा भारत के भीतर किया जा सकेगा ।

2. इस अधिनियम सहित किसी भारतीय विधि के अधीन दायी किसी व्यक्ति के, जिसका भारत के बाहर कारित किए गए अपराध के लिए विचारण किया जाना है, संबंध में भारत के बाहर कारित किए गए किसी कार्य के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसी रीति में कार्यवाही की जाएगी, मानो ऐसा कार्य भारत के भीतर कारित किया गया हो ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों" से अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट संघ के सशस्त्र बल या सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत हैं ;

(ख) "संगम" से व्यक्तियों का कोई समुच्चय या निकाय अभिप्रेत है, चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या निगमित हो या नहीं ;

(ग) "साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, ऐसा कोई कार्य या कार्यों की श्रृंखला, चाहे सहज हो या योजनाबद्ध, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति और या संपत्ति को क्षति या हानि होती है, जो जाबूझकर किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे समूह की उसकी सदस्यता के आधार पर निदेशित की गई है ;

(घ) "निधि" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा राहत और पुनर्वास निधि अभिप्रेत है ;

(ङ) "समूह" से भारत संघ के किसी राज्य में कोई धार्मिक या भाषावादी अल्पसंख्यक या भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) के अर्थ के भीतर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अभिप्रेत हैं ;

(च) "किसी समूह के विरुद्ध शत्रुता के वातावरण" से ऐसा भयपूर्ण या बाध्यकारी वातावरण अभिप्रेत है, जो तब सृजित किया जाता है जब इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित किसी समूह के किसी व्यक्ति को, उस समूह की अपनी सदस्यता के आधार पर, निम्नलिखित कार्यों में से किसी के अध्यधीन किया जाता है :--

(i) ऐसे व्यक्ति के व्यापार या कारबारों का बहिष्कार करना या जीविका अर्जन करने में उसके लिए अन्यथा कठिनाई पैदा करना ; या

(ii) लोक सेवाओं, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन भी है, से अपवर्जित करके या किसी अन्य तिरस्कार पूर्ण कार्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से शर्मिन्दा करना ; या

(iii) ऐसे व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से वंचित करना या वंचित करने की धमकी देना ; या

(iv) ऐसे व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्त सहमति के बिना अपना घर या

मूल निवास स्थान या जीविका छोड़ने के लिए बाध्य करना ; या

(v) ऐसा कोई अन्य कार्य करना, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध हो या नहीं, जिसका प्रयोजन या प्रभाव भयपूर्ण, शत्रुता का या आपराधिक वातावरण सृजित करना है ;

(छ) "आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है कोई व्यक्ति, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन परिभाषित किसी समूह से संबंध रखती या रखता हो, जिसे उसके घर से या मामूली रूप से निवास स्थान को, संगठित या साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के प्रभावों के परिणामस्वरूप या उनसे बचने के लिए भारत में किसी अन्य स्थान के लिए, छोड़ने हेतु विवश किया गया हो या बाध्य किया गया हो ।" आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, यथास्थिति, नियमों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "लोक सेवक" से भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक और इस अधिनियम सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अपनी शासकीय हैसियत में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है ;

(ञ) "राज्य" का वही अर्थ होगा, जो संविधान की अनुसूची 1 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 1 में है ;

(ट) "पीड़ित" से इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित किसी समूह का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने इस अधिनयम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या धनीय हानि या अपनी संपत्ति की हानि उठाई है और इसके अंतर्गत जहां समुचित हो, उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं ;

(ठ) "साक्षी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में जानता है या जिसके कब्जे में कोई सूचना है या जिसे ऐसी जानकारी है, जो ऐसे किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के लिए आवश्यक है, जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सम्मिलित है और जिससे ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान सूचना देने या कोई कथन करने या कोई दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जाती है या की जा सकती है और इसके अंतर्गत ऐसे अपराध का पीड़ित व्यक्ति भी है ;

(ड) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ समझे जाएंगे, जो उक्त अधिनियमितियों में उनके हैं ;

(ढ) इस अधिनियम को जम्मू--कश्मीर राज्य में विस्तारित किए जाने की दशा में, इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि के, जो जम्मू--कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है ।

जानकारी ।

4. किसी व्यक्ति के बारे में इस समय यह कहा जा सकेगा कि उसने किसी समूह से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध, उस व्यक्ति की उस समूह की सदस्यता के आधार पर जानबूझकर किसी कार्य का निदेश दिया है, जहां,--

(क) उसका अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध व्यवहार में लिप्त होना है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह उस समूह से संबंधित है ;

(ख) इस जानकारी से कि वह व्यक्ति किसी समूह से संबंधित है, उसका अभिप्राय उस समूह में उस व्यक्ति की सदस्यता के कारण उस व्यक्ति को क्षति या हानि कारित करने का है ।

अध्याय 2

अपराध

सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा वाले अपराध ।

5. धारा 7 से धारा 12 (दोनों धाराओं सहित) के अधीन अपराध, सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा वाले अपराध होंगे ।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम का लागू होना ।

6. (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, यह अधिनियम उपधारा (2) और उपधारा (3) में उल्लिखित अपराधों के सिवाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अतिरिक्त लागू होगा, न कि उसके अल्पीकरण में ।

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अधीन बनाए गए नियम 6 और नियम 7 के उपबंध इस अधिनियम की धारा 62 और धारा 85 को अपवर्जित करते हुए, उस अधिनियम के अधीन सभी अन्वे-णों को लागू होंगे ।

(3) इस अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों को सुसंगत सीमा तक लागू होंगे, जिनके विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध किए गए हैं :

परंतु उक्त अधिनियम के अधीन संदत्त किन्हीं रकमों का इस अधिनियम के अधीन संदत्त किन्हीं रकमों के प्रति मुजरा किया जाएगा ।

लैंगिक हमला ।

7. किसी व्यक्ति के बारे में उस समय यह कहा जा सकेगा कि उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया है, यदि वह किसी समूह के व्यक्ति के विरुद्ध उस समूह की उस व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करता है,--

(क) किसी स्त्री के विरुद्ध,

(i) बलात्संग ;

(ii) गिरोह द्वारा बलात्संग ;

(iii) साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के भाग के रूप में या उसके क्रम में बलात्संग या गिरोह द्वारा बलात्संग ;

(ख) किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उनकी सहमति या उनकी इच्छा के बिना,

(i) किसी व्यक्ति द्वारा अपने लिंग या शरीर के किसी अन्य भाग या किसी वस्तु को

भग, मुंह या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करना ;

(ii) प्रजनन संबंधी अंगों या जनेन्द्रांगों को हानि या चोट पहुंचाना ;

(iii) किसी व्यक्ति के लैंगिक अंगों को किसी व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करना ;

(iv) किसी प्रकार का लैंगिक संपर्क, जिसके अंतर्गत किसी समय अंतराल के लिए लैंगिक कार्य करना भी है ;

(v) व्यक्तियों के कपड़े, भागतः या पूर्णतः हटाना या उस व्यक्ति पर जनता के सामने या अन्यथा भागतः या पूर्णतः स्वयं को वस्त्रहीन होने के लिए दबाव डालना या जनता के सामने या अन्यथा उस व्यक्ति को वस्त्रहीन दशा मे घुमाना ;

(vi) कोई ऐसा अन्य कार्य या आचरण, जो उस व्यक्ति को लैंगिक तिरस्कार के अध्यधीन लाता है :

परंतु जंहा लैंगिक हमला साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के भाग के रूप में या उसके क्रम में उपधारा (क) या उपधारा (ख) के अधीन किया जाता है, तो यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं होगा कि उक्त कृत्य पीडित की सहमति या इच्छा के विरूद्ध किया गया है ।

स्प-टीकरण 1— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सहमति से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा--

(क) साफ--साफ स्वैच्छिक रजामंदी, जहां व्यक्ति ने शब्दों, भंगिमाओं या किसी रूप में गैर--शाब्दिक संप्रे-ाण द्वारा इस धारा में निर्दि-ट कार्य में भाग लेने की इच्छा संप्रेनित की है ;

(ख) "साफ--साफ स्वैच्छिक रजांमदी" से विशि-ट और इस धारा के अधीन सहमति दिए गए अभिव्यक्त कार्य तक सीमित रहने के लिए दी गई इच्छा अभिप्रेत है ।

स्प-टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए सहमति, धमकी, भय, आतंक, डर, दबाव, असम्यक प्रभाव, मिथ्या अभिकथन या तथ्य की गलती के कारण नहीं होगी ।

घृणा दु-प्रचार ।

8. तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य विधि में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित या इशारों द्वारा या दृश्यमान चित्रण या इलेक्ट्रानिक या जन संचार के अन्य माध्यमों या अन्यथा द्वारा घृणा पैदा करने वाले ऐसे कार्यों को प्रकाशित, संप्रेनित या प्रचारित करता है, जिसके कारण किसी समूह या उस समूह के व्यक्तियों के विरुद्ध, सामान्यतया या विशि-टतया हिंसा का स्प-ट खतरा होता है या ऐसी किसी सूचना का प्रसार या प्रसारण करता है या ऐसी कोई विज्ञापन या सूचना प्रकाशित या प्रदर्शित करता है, जिसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इससे घृणा को बढ़ावा देने या फैलाने का आशय प्रदर्शित होता है या उस समूह या उस समूह के व्यक्तियों के प्रति ऐसी घृणा उत्पन्न होती है या उत्पन्न होने की संभावना है, वह घृणा दु-प्रचार का दो-ी कहा जाएगा ।

पंरतु ऐसी किसी बात को घृणा प्रचार नहीं समझा जाएगा, जो कि भारत के संविधान के अध्याय 3 में प्रति-ठापित मूल अधिकारों को अग्रसर करने या उनका संबर्धन करने के लिए की जाती है ।

संयोजित साप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा ।

9. (1) जो कोई, जो एक व्यन्टि है, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से या किसी संगम का भाग है या किसी संगम की ओर से या किसी संगम के प्रभाव के अधीन कार्य करते हुए जानबूझकर किसी समूह या उसके भाग के विरुद्ध, उस समूह की

उनकी सदस्यता के कारण निदेशित हिंसा के प्रयोग या हिंसा की धमकी या भय या दबाव या लैंगिक हिंसा द्वारा या अन्य विधिविरुद्ध साधनों द्वारा, व्यापक या योजनाबद्ध प्रकृति के सतत् विधिविरुद् क्रियाकलाप में लगता है, तो उसके बारे में यह कहा जा सकेगा कि उसने संगठित साप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा का अपराध किया है ।

स्प-टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "किसी समूह या उसके भाग के विरुद्ध जानबूझकर निदेशित व्यापक या योजनाबद्ध के सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप " से आचरण का ऐसा अनुक्रम अभिप्रेत है, जिसमें किसी समूह या उसके भाग के विरुद्ध इस धारा में निर्दि-ट कार्यों का बहु या बड़ी संख्या में, चाहे सहज रूप में या योजनाबद्ध रूप में, चाहे किसी अल्प या लंबी अवधि पर या एक स्थान में या लगातार या अन्यथा अनेक स्थानों पर, किया जाना सम्मिलित है ।

(2) जहां यह दर्शित किया जाता है कि व्यापक या योजनाबद्ध प्रकृति का सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप हुआ है वहां यह उपधारणा की जा सकेगी कि सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा को रोकने के कर्तव्य से भारित लोक सेवक व्यापक या योजनाबद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप को रोकने का कार्य करने में असफल रहा है ।

इस अधिनियम के अधीन अपराध के किए जाने के लिए वित्तीय, सामग्री या वस्तु रूप से सहायता देना ।

10. जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी कार्य के अग्रे-न या समर्थन में, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध है, कोई धन या कोई सामग्री खर्च करता है या प्रदाय करता है अथवा उसकी वस्तु में सहायता करता है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह इस अधिनियम के अधीन अपराध के किए जाने में वित्तीय रूप से सहायता करने का दो-ी है ।

भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन अपराध ।

11. भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन ऐसे अपराध को जो,--

(क) इस अधिनियम की अनुसूची 2, भाग क ; या

(ख) इस अधिनियम की अनुसूची 2, भागख, जब उन्हें किसी समूह के किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उस समूह की उसकी सदस्यता के कारण किया जाता है,

में दिए गए हैं, इस अधिनियम के अधीन सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के अपराध समझे जाएंगे और उनके संबंध में तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

यातना ।

12. जो कोई, जो लोक सेवक है या लोक सेवक के नियंत्रण या निदेशन के अधीन या उसकी उपमति से किसी समूह के किसी व्यक्ति को ऐसे समूह की उसकी सदस्यता के कारण उससे या किसी तीसरे व्यक्ति से सूचना या संस्वीकृति प्राप्त करने या ऐसे किसी कार्य के लिए, जो उसके या तीसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है या किए जाने का संदेह है, उसे दंड देने के लिए या किसी व्यक्ति को बाध्य करने या उस पर दबाव डालने के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए साशय पीड़ा या यातना, चाहे वह मानसिक हो या शारिरिक, देता या देती है, या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार करता या करती है, जिसके अंतर्गत गंभीर क्षति या प्राण, अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक हमला करना भी है, उसके बारे में यह कहा जा सकेगा कि वह यातना देता या देती है :

परंतु इस धारा की कोई बात विधि के अनुसार कारित या दी गई यथापूर्वोक्त किसी पीड़ा, क्षति या खतरे को लागू नहीं होगी ।

कर्तव्य की अवहेलना ।

13. जब ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक है या था, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी से या के द्वारा के सिवाय अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है :--

(क) उसमें निहित प्राधिकार का छदम् रूप से या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उपबंधित

रीति से भिन्न रीति में प्रयोग करता है, जिसके कारण सांप्रदायिक या लक्ष्यित हिंसा होती है या होने की संभावना है या जिसके द्वारा उसका आशय किसी व्यक्ति को विधिक दंड से बचाना है या वह यह जानता या जानती है कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को बचाएगा या बचाएगी ; या

(ख) विधि के अधीन उसमें निहित विधिपूर्ण प्राधिकार का युक्तियुक्त कारण के बिना प्रयोग करने का लोप करता है, जिसके कारण वह सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा, लोक व्यवस्था को भंग किए जाने या किसी समूह के लिए आवश्यक सेवाएं या प्रदाय बनाए रखने में अवरोध को रोकने में असफल रहता है,

कर्तव्य की अवहेलना का दो-ी होगा ।

स्प-टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कर्तव्य की अवहेलना के अंतर्गत निम्नलिखित भी होगा--

(i) जो ऐसे लोक सेवक के रूप में कर्तव्य से भारित होते हुए निम्नलिखित से इन्कार करता है--

(क) सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के किसी पीड़ित की संरक्षा करने या संरक्षा दिलाने,

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित या किसी अन्य अपराध के किए जाने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना अभिलिखित करने ; या कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख अशुद्ध रूप से तैयार, विरचित या अभिलिखित करता या करती है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध या किसी अन्य अपराध का अन्वे-ण या अभियोजन करने ;

(ii) ऐसे लोक सेवक के रूप में भारित होते हुए, किसी सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के किसी कार्य को, जिसके अंतर्गत उसका निर्माण, उद्दीपन, नि-क-र्ा और फैलाना भी है, रोकने के युक्तियुक्त उपाय करने में और न्याय संगत, नि-पक्ष और भेदभाव रहित रीति में अविलंब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में, इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता या रहती है ;

(iii) ऐसे लोक सेवक के रूप में भारित होते हुए, किसी पीड़ित के संबंध में, जिसे लैंगिक हमले सहित शारीरिक क्षति पहुंची है, किसी विलंब के बिना चिकित्सीय परीक्षा संचालित करने में इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता या रहती है ;

(iv) ऐसे लोक सेवक के रूप में भारित होते हुए, सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों को संरक्षित रखने के सभी युक्तियुक्त उपाय करने में इस अधिनियम की धारा 65 के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है या रहती है ;

(v) ऐसे लोक सेवक के रूप में भारित हुए पीड़ितों, सूचनादाताओं और साक्षियों की संरक्षा करने के सभी युक्तियुक्त उपाय करने में इस अधिनियम की धारा 66, धारा 83 और धारा 84 के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है या रहती है ;

(vi) अपनी परिधि और उत्तरदायित्व के भीतर किसी मुद्दे पर मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करता है या करती है । यदि जानकारी, जिसे देने के लिए लोक सेवक विधिक रूप से आबद्ध है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के संबंध में है या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने को रोकने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ;

(vii) किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या मामला रजिस्टर करने या किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए अपने विधिक प्राधिकार का भ्र-ट रूप में या विद्वे-ूपर्ण रूप से प्रयोग करता है या करती है ;

(viii) ऐसे लोक सेवक के रूप में आबद्धकर होते हुए, साशय किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित या गिरफ्तार किए जाने के लिए दायी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या निरुद्ध रखने का लोप करता या करती है या साशय ऐसे व्यक्ति को फरार होने देता है या देती है या साशय ऐसे व्यक्ति की फरार होने में सहायता करता है या करती है ;

(ix) जानबूझ कर या साशय ऐसी सहायता देने का, जो वह किसी न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण जारी की गई किसी आदेशिका, समनों या वारंट को नि-पादित करने के प्रयोजन के लिए किसी लोक सेवक को उपलब्ध कराने या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने को रोकने या दंगे को दबाने या किसी अपराध के लिए आरोपित या दो-ी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का लोप करता है या करती है ;

(x) जहां कोई लोक सेवक ऐसी कोई जानकारी देता है, जिसके बारे में वह जानता है या उसको यह विश्वास है कि वह मिथ्या है या कोई जानकारी छिपाता है या किसी समूह के व्यक्ति को हानि या क्षति करने के आशय से कोई ऐसी सूचना देने का लोप करता है ;

(xi) ऐसे लोक सेवक के रूप में भारित होते हुए, इस अधिनियम के अध्याय 7 के अधीन कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करने में असफल रहता है,

कर्तव्यों की अवहेलना करने का दो-ी होगा/होगी ।

लोक सेवक द्वारा कमान उत्तरदायित्व के भंग के लिए अपराध ।

14. जो कोई, इस अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) के अधीन यथापरिभा-ित सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों के कमान, नियंत्रण या पर्यवेक्षण में या कमान ग्रहण करने वाला, चाहे विधिपूर्ण रूप में या अन्यथा, लोक सेवक होते हुए, कमान नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन व्यक्तियों पर नियंत्रण का प्रयोग करने में असफल रहता है और ऐसी असफलता के कारण उसकी कमान, नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन व्यक्तियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाते हैं या ऐसी असफलता के कारण उक्त व्यक्ति इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है, कमान उत्तरदायित्व के भंग के अपराध का दो-ी होगा, जहां,--

(क) ऐसा लोक सेवक यह जानता था या उस समय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसे जानना चाहिए था कि उसके कमान, नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन व्यक्ति ऐसे अपराध कारित करेंगे या उनके द्वारा किए जाने की संभावना है ; और

(ख) ऐसा लोक सेवक उक्त अपराधों के किए जाने को रोकने या उनका दमन करने में अपनी शास्ति के अधीन आवश्यक और युक्तियुक्त उपाय करने में असफल रहा था या मामले को अन्वे-ाण और अभियोजन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने में असफल रहा था ।

कमान उत्तरदायित्व के भंग के लिए अन्य वरि-ठ अधिकारियों द्वारा अपराध ।

15. जो कोई, इस अधिनियम की धारा 3 के खंड (ख) के अधीन यथापरिभा-ित और धारा 14 के अधीन उल्लिखित से भिन्न किसी संगम का कोई गैर--राज्य कार्यकर्ता या वरि-ठतम अधिकारी या पदधारी होते हुए, जिसमें किसी संगम का कमान, नियंत्रण या पर्यवेक्षण निहित है या कमान ग्रहण करता या करती है या अन्यथा अपनी कमान, नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन अधीनस्थों के ऊपर नियंत्रण रखने में असफल रहता है और ऐसी असफलता के परिणामस्वरूप उसकी कमान, नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन अधीनस्थों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाते हैं, अपनी कमान के अधीन ऐसे अधीनस्थों द्वारा किए गए अपराधों का दो-ी होगा,

जहां,

(क) किसी संगम का ऐसा गैर--राज्य कार्यकर्ता या वरि-ठतम अधिकारी या पदधारी ऐसी सूचना को जानता था या जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं दिया था, जो स्प-टरूप से यह उपदर्शित करती थी कि उसके अधीनस्थ ऐसे अपराध कारित कर रहे हैं या करने वाले हैं ;

(ख) अपराधों से संबंधित क्रियाकलाप किसी संगम के ऐसे गैर--कार्यकर्ता या वरि-ठतम अधिकारी या पदधारी के दक्ष उत्तरदायित्व और नियंत्रण के भीतर थी ; और

(ग) किसी संगम का ऐसा गैर--राज्य कार्यकर्ता या वरि-ठतम अधिकारी या पदधारी उनके किए जाने या दमन करने में अपनी शक्ति के भीतर सभी आवश्यक और युक्तियुक्त उपाय करने या मामले को अन्वे-ण और अभियोजन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने में असफल रहा था ।

विधि के वरि-ठ आदेश और चिरभोग ।

16. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, वहां यह बात कि वह किसी व्यक्ति द्वारा अपने वरि-ठ अधिकारी के आदेश पर किया गया था, उस व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से तब तक मुक्त नहीं करेगी, जब तक,--

(क) वह व्यक्ति प्रश्नगत वरि-ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करने के लिए किसी विधिक बाध्यता के अधीन नहीं था ; और

(ख) आदेश अभिव्यक्तरूप से विधि विरुद्ध नहीं था ।

किसी अपराध का दु-प्रेरण ।

17. कोई व्यक्ति किसी अपराध का दु-प्रेरण करता है, जो--

प्रथम -- किसी व्यक्ति को वह अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करता है ; या

द्वितीय -- उस अपराध को करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ कोई -ाडयंत्र करता है, यदि कोई कार्य या विधि विरुद्ध लोप उस -ाडयंत्र के अनुसरण में और उस अपराध को करने के लिए होता है ; या

तृतीय -- किसी कार्य या विधि विरुद्ध लोप द्वारा उस अपराध के किए जाने में साशय सहायता करता है ।

स्प-टीकरण 1— किसी व्यक्ति के बारे में, जो किसी ऐसे सारवान तथ्य के, जिसको प्रकट करने के लिए वह बाध्य है, जानबूझकर मिथ्या प्रस्तुतिकरण द्वारा या जानबूझकर उसे छिपाकर, कोई बात स्वैच्छया करता है या उपाप्त करता है या करने या उपाप्त करने का प्रयास करता है, यह कथन किया जाता है कि वह उस अपराध को करने के लिए उकसाता है ।

स्प-टीकरण 2--जो कोई, किसी कार्य को करने से पूर्व या कार्य करने के समय पर उस कार्य को सुकर करने के क्रम में कुछ करता है और उसके द्वारा उसको किए जाने को सुकर करता है, उस कार्य को करने में सहायता देना कहा जाएगा ।

अध्याय 3

सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा का निवारण

सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा का निवारण करने का

18. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 129 से धारा 144क के अधीन कर्तव्यों सहित लोक व्यवस्था और प्रशान्ति बनाए रखने के कर्तव्य से भारित प्रत्येक लोक सेवक, सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा को सशक्त बनाने, उसके उद्दीपन, प्रादुर्भाव और प्रसार सहित

कर्तव्य ।

लक्ष्यित हिंसा के किसी कार्य का निवारण करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय और उसकी समाप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा :--

(i) राज्य या उसके किसी भाग में जहां सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा का होना उपदर्शित हो, किसी समूह के विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण के सृजन या अस्तित्व सहित हिंसा के प्रतिरूपों की पहचान करने के सभी संभव प्रयत्न करना ;

(ii) सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा होने की संभावना के संबंध में सूचना अभिप्राप्त करना ; और

(iii) उनमें निहित शक्तियों के अनुसार सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के निवारण के लिए कर्तव्य को अग्रसर करने में कार्य करना ;

(2) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध करने का निवारण करने के लिए अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार कार्रवाई करेगा या करेगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक लोक सेवक, अपने कर्तव्यों के पालन में, ऋतु, पक्षपातरहित और अविभेदकारी रीति से बिना किसी विलंब के कार्य करेगा या करेगी ।

विधिविरुद्ध जमाव के विरुद्ध प्राधिकार प्रयोग करने का कर्तव्य ।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 से धारा 144क के अधीन किसी कर्तव्य से प्रभारित कोई लोक सेवक, उसके कर्तव्य का, ऋतु, पक्षपातरहित और अविभेदकारी रीति से पालन करेगा या करेगी ।

अध्याय 4

सांप्रदायिक सामंजस्य, न्याय और हानिपूर्ति के लिए रा-ट्रीय प्राधिकरण

सांप्रदायिक सामंजस्य, न्याय और हानिपूर्ति के लिए रा-ट्रीय प्राधिकरण का गठन ।

20. (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन उसको समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सांप्रदायिक सामंजस्य, न्याय और हानिपूर्ति रा-ट्रीय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी ।

(2) रा-ट्रीय अधिकरण, पूर्वोक्त नाम वाला तथा शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की यथासंविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) रा-ट्रीय प्राधिकरण, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

परंतु इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित किसी समूह के, एक समय में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित चार से अन्यून सदस्य होंगे ।

परंतु यह और कि सभी समय पर निम्नलिखित होंगे--

1. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य ;

2. चार स्त्रियां, चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य हों ;

परंतु यह और कि सभी समय पर, एक महिला चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य हो, धार्मिक या भा-ायी अल्पसंख्यक समुदाय में से होगी :

परंतु यह भी कि सभी समयों पर दो सदस्यों से अनधिक, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और

उपाध्यक्ष भी हैं, सेवानिवृत्त लोक सेवक होंगे ।

(4) एक महासचिव होगा, जो रा-ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किया गया भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का अधिकारी होगा, जो रा-ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और जो रा-ट्रीय प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा या करेगी जो उसको प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(5) रा-ट्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति ।

21. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य को रा-ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी :

(i) प्रधानमंत्री -- अध्यक्ष

(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता -- सदस्य

(iii) राज्य सभा में विपक्ष का नेता -- सदस्य

(iv) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री -- सदस्य

(v) रा-ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष -- सदस्य

स्प-टीकरण 1--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'लोक सभा में विपक्ष का नेता' में, जब ऐसा नेता इस प्रकार मान्यताप्राप्त नहीं है तब लोक सभा में सरकार के विपक्ष में एकल बृहदतम समूह का नेता सम्मिलित होगा ।

स्प-टीकरण 2--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'राज्य सभा में विपक्ष का नेता' में, जब ऐसा नेता इस प्रकार मान्यताप्राप्त नहीं है तब राज्य सभा में सरकार के विपक्ष में एकल बृहदतम समूह का नेता सम्मिलित होगा ।

(2) चयन की प्रक्रिया, प्रथमतः भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तीन मास के भीतर और विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि पूर्ण होने से तीन मास पूर्व आरंभ की जाएगी और दो मास के भीतर समाप्त की जाएगी ।

(3) चयन समिति के विनिश्चय, साधारण बहुमत द्वारा होंगे ।

अर्हताएं ।

22. (1) रा-ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य निम्नलिखित अर्हताएं रखेंगे और ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे, जो :--

(क) विधि या आपराधिक न्याय या मानव अधिकारों समाज शास्त्र या किसी अन्य समाज विज्ञान के संबंध में विशे-नज्ञता रखते हों ;

(ख) सांप्रदायिक सांमजस्य अभिवृद्धि का कीर्तिमान रखते हों ;

(ग) उच्च नैतिक चरित्र, नि-पक्षता और सत्यनि-ठा के हों ; और

(घ) उनके चयन से एक व-र्ा पूर्व की अवधि के लिए किसी राजनैतिक दल के सदस्य नहीं रहे हों ।

(2) कोई व्यक्ति, रा-ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त

किए जाने का पात्र नहीं होगा, यदि--

(क) उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध, जिसमें भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन उपबंधित अपराध भी है, की जांच लंबित है या वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदो-ा किया गया है ;

(ख) उसने किसी रीति से, किसी समूह के विरुद्ध, कार्यों द्वारा या लेख से या अन्यथा, पक्षपात प्रदर्शित किया है ; या

(ग) किसी अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हुए, चाहे वह लोक सेवक हो या अन्यथा, उसके विरुद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया लंबित है या वह किसी ऐसी प्रक्रिया में दो-ी पाया गया है या पाई गई है ।

(3) रा-ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, भारत संघ के रा-ट्रपति या उपरा-ट्रपति के पद के सिवाय या तो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य के अधीन उसकी पदावधि के समाप्त होने के पश्चात् दो व-र्ा की अवधि के लिए निर्वाचन नहीं लडेंगे ।

सदस्यों की पदावधि ।

23. (1) रा-ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य, छह व-र्ा की पदावधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर सेवा करेंगे :

परंतु प्रथम चयन पर, दो सदस्य दो व-र्ा की पदावधि के लिए, दो सदस्य चार व-र्ा की पदावधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे और शे-ा, छह व-र्ा की पदावधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसका उसने अपना पद ग्रहण किया है, दो व-र्ा की पदावधि के लिए पद धारण करेगा या करेगी ।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, समान हैसियत में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) प्रथम बार के सिवाय, केवल रा-ट्रीय प्राधिकरण में दो व-र्ा की सेवा वाले सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अर्हित होंगे ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना ।

24. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, भारत के रा-ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा या त्याग सकेगी ।

(2) धारा 22 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रा-ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य को केवल साबित कदाचार या कृत्यकारी असमर्थता के आधार पर किए गए रा-ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को रा-ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर किए जाने के पश्चात् किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधार पर हटा दिया जाए ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य--

(क) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या लगती है ; या

(ख) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारणों द्वारा अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ग) किसी अपराध के लिए सिद्धदो-ा ठहराया जाता है और कारावास से दंडादि-ट

किया जाता है जिसमें रा-ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अतर्वलित है,

तो रा-ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य ऐसे सदस्य को, आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा ।

प्राधिकरण में रिक्तियां ।

25. (1) रा-ट्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या प्रक्रिया, केवल इस आधार पर कि रा-ट्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी ।

(2) रा-ट्रीय प्राधिकरण में किसी कारण से पद पर कोई रिक्ति होने की दशा में, रिक्ति उद्भूत होने के दो मास के भीतर रिक्ति को भरने के लिए धारा 21 के अनुसार चयन किया जाएगा ।

(3) किसी रिक्ति को भरने के लिए इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई सदस्य, पूर्वाधिकारी की शे-ा पदावधि के लिए सेवा करेगा और यदि अवधि, दो व-र्ा या उससे कम है तो पूरी पदावधि के लिए पुनर्चयन का पात्र होगा ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

26. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए :

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

प्रक्रिया का रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना ।

27. (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए रा-ट्रीय प्राधिकरण को अपनी प्रक्रिया स्वयं अधिकथित करने की शक्ति होगी ।

(2) रा-ट्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत रा-ट्रीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

रा-ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद ।

28. (1) केंद्रीय सरकार, ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से निम्न न हो ऐसे पुलिस और अन्वे-ाण कर्मचारिवृंद और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृंद, जो रा-ट्रीय प्राधिकरण के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, उपलब्ध कराएगी ।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, रा-ट्रीय प्राधिकरण, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी कर्मचारिवृंद नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

(4) रा-ट्रीय प्राधिकरण, स्वयं या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए राज्य प्राधिकारियों के माध्यम से या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं या तंत्रों के माध्यम से, जो वह अंगीकृत कर सकेगी, अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

रा-ट्रीय प्राधिकरण के कृत्य ।

29. रा-ट्रीय प्राधिकरण, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) निम्नलिखित के संबंध में सूचना प्राप्त और एकत्र करना :

(i) कोई कार्य, जो इस अधिनियम के अधीन अपराधों को राज्य या गैर राज्य कार्यकर्ता द्वारा सशक्त करना उपदर्शित करे ;

(ii) व्यक्तियों की किसी प्रकार की ऐसी संसूचना, प्रचार, संघटन या क्रियाकलाप, जो समूहों के विरुद्ध शत्रुता या घृणा में अभिवृद्धि करता हो ।

(iii)इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित रीति से सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा होने या होने की संभावना ;

(iv) लोक सेवक द्वारा सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के निवारण में उपेक्षा ।

(ख) धारा 98 के अधीन व्यक्तियों के नामों को सम्मिलित न करने के संबंध में राज्य निर्धारण समिति के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलें ग्रहण करना ;

(ग) उपरोक्त खंड (ख) और धारा 30 के संबंध में राज्य और गैर--राज्य कार्यकर्ताओं को परामर्श जारी करना और सिफारिशें करना ;

(घ) धारा 95 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों सहित धारा 87 के अधीन हकदार सभी व्यक्तियों के लिए राहत, पुर्नरुद्धार और प्रत्यास्थापन के लिए केंद्रीय सरकार के परामर्श से स्कीमें विरचित करना ;

(ङ) सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के निवारण और नियंत्रण के संबंध में केंद्रीय सरकार के परामर्श से मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन गठित सभी राज्य प्राधिकरणों से सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा की घटनाओं, प्रादुर्भाव और प्रतिरूपों पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार नियमित रिपोर्टें प्राप्त करना ;

(छ) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी राहत शिविर का, जहां आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति निवास कर रहे हैं, वहां ऐसे व्यक्तियों की जीवन--दशाओं का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकार को सूचना दिए जाने के अधीन दौरा करना ;

(ज) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किन्हीं जेलों या अन्य ऐसी संस्थाओं का जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच या अन्वे-ण के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति निरुद्ध या दाखिल किए गए हैं वहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को सूचना दिए जाने के अधीन दौरा करना ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में न्यायालय की प्रक्रियाओं का राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के माध्यम से या स्वतंत्र संप्रेक्षकों की नियुक्ति द्वारा संप्रेक्षण करना ;

(ञ) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित ऐसी प्रक्रिया में जिसमें सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा का कोई अभिकथन अंतवर्लित है, ऐसे न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना ;

(ट) ऐसे अन्य कृत्य करना जो सांप्रदायिक सामंजस्य, परिरक्षण तथा सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के निवारण तथा नियंत्रण के लिए जो आवश्यक समझे जाएं :

परंतु जहां कोई राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों के अधीन कोई जांच कर चुका है वहां रा-ट्रीय प्राधिकरण उसकी जांच नहीं करेगा ।

परंतु यह और कि रा-ट्रीय प्राधिकरण संगठित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा की शिकायतों की जांच करेगा और कोई राज्य प्राधिकरण ऐसी शिकायतों में जांच करने की शक्ति नहीं रखेगा ।

रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कर्तव्यों के पालन की मानीटरी और पुनरीक्षण किया जाना ।

30. रा-ट्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित के संबंध में लोक सेवकों द्वारा कर्तव्यों के पालन का संप्रेक्षण, मानीटर तथा पुनरीक्षण करेगा :

(i) सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के अपराधों के निवारण के लिए लोक सेवकों द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावकारिता ;

(ii) सूचना का अवलेखन करना जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध लोक सेवकों द्वारा किए गए हैं ;

(iii) लोक सेवकों द्वारा अपराधों सहित इस अधिनियम के अधीन अपराधों का समय से और प्रभावी अन्वे-ण तथा अभियोजन ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार धारा 95 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों सहित धारा 87 के अधीन ऐसे फायदों के हकदार सभी व्यक्तियों के लिए राहत, पुनर्वास, पुर्नरुद्धार और प्रत्यास्थापन के लिए समय से और पर्याप्त उपायों की व्यवस्था करना ।

रा-ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां ।

31. (1) रा-ट्रीय प्राधिकरण अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या अपने कृत्यों में अग्रसर होने के लिए निम्नलिखित शक्तियां रखेगा, अर्थात् :--

(क) निम्नलिखित से सूचनाएं प्राप्त करना :--

(i) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संबद्ध संघ राज्यक्षेत्र या उनके अधिकारी या विभाग ; या

(ii) गैर--राज्य कार्यकर्ता ;

(ख) उसकी ओर से अनुपालन करने, तथ्य और सूचना एकत्र करने, जांच करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना ;

(ग) किसी जांच को करने के संबंध में राज्य प्राधिकरणों को निदेश जारी करना :

परंतु किसी राज्य प्राधिकरण को रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई निदेश राज्य प्राधिकरण पर आबद्ध होगा ।

(2) रा-ट्रीय प्राधिकरण को, जांच या अन्वे-ण करते समय निम्नलिखित वि-नयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात् :--

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ--पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(ङ) कोई अन्य वि-नय, जो विहित किया जाए ।

(3) रा-ट्रीय प्राधिकरण को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशे-ाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या वि-नयों पर सूचना देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो प्राधिकरण की राय में जांच की वि-नय--वस्तु के लिए उपयोगी हों या उससे सुसंगत हों और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की

जाए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ के भीतर ऐसी सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

(4) रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विशे-तया प्राधिकृत किसी ऐसे अन्य राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से रा-ट्रीय प्राधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में जिसकी बाबत रा-ट्रीय आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच या अन्वे-ण की वि-य--वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा या उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा ।

(5) रा-ट्रीय प्राधिकरण को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, प्राधिकरण की दृ-टि में या उपस्थिति में किया जाता है तब प्राधिकरण अपराध घटित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात् जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबंधित है, उस मामले को, यथास्थिति, ऐसे मजिस्ट्रेट या नामनिर्दि-ट न्यायाधीश को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट या नामनिर्दि-ट न्यायाधीश, जिसे कोई मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो ।

(6) रा-ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष किसी जांच या अन्वे-ण के संबंध में प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

अन्वे-ण ।

32. (1) रा-ट्रीय प्राधिकरण, जांच से संबंधित कोई अन्वे-ण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वे-ण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा ।

(2) जांच से संबंधित किसी वि-य का अन्वे-ण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, रा-ट्रीय प्राधिकरण के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए--

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) धारा 40 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) में किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में ऐसे लागू होंगे, जैसे वे रा-ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) में किया जाता है, जांच के संबंधित किसी वि-य का अंवे-ण करेगा और उस पर रा-ट्रीय प्राधिकरण को ऐसी अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दि-ट की जाए ।

(5) रा-ट्रीय प्राधिकरण, कथित तथ्यों और उपधारा (4) के अधीन उसे प्रस्तुत रिपोर्ट के नि-क-र्ा, यदि कोई हो, की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए रा-ट्रीय प्राधिकरण ऐसी जांच (जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की परीक्षा भी है, जिन्होंने अन्वे-ाण किया है या उसमें सहायता की है) कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

शिकायतों की जांच ।

33. रा-ट्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपराधों की शिकायत की जांच करते समय,--

(i) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विहित किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा :

परंतु,--

(क) यदि रा-ट्रीय प्राधिकरण को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह अपनी ओर से शिकायत पर जांच कर सकेगा ;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त होने पर रा-ट्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता हे कि और जांच करना अपेक्षित नहीं है या संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कार्रवाई आरंभ की जाए या की जाए तो वह शिकायत पर कार्रवाई कर सकेगा और तदनुसार शिकायतकर्ता को सूचित कर सकेगा ;

(ii) खंड (i) में अंतर्वि-ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि वह शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आंरभ करेगा ।

जांच के पश्चात् कार्रवाई ।

34. रा-ट्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् :--

(1) जहां किसी रिपोर्ट में किसी लोक सेवक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन या साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा को रोकने में उपेक्षा प्रकट होती है, वहां संबंधित सरकार या प्राधिकरण को अभियोजन की कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई आरंभ करने की सिफारिश कर सकेगा, जो रा-ट्रीय प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उचित समझे ;

(2) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए, जो वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करेगा ;

(3) रा-ट्रीय प्राधिकरण अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार या प्राधिकरण को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकरण एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो रा-ट्रीय प्राधिकरण अनुज्ञात करे, अपनी टीका--टिप्पणी, जिसके अंतर्गत उस पर की गई कार्रवाई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की रिपोर्ट भी है, रा-ट्रीय प्राधिकरण को भेजेगा ;

(4) रा-ट्रीय प्राधिकरण, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका--टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, तथा संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा ।

शिकायतकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति का दिया जाना ।

35. रा-ट्रीय प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन जांच रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाए ।

सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया ।

36. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, रा-ट्रीय प्राधिकरण सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :--

(क) रा-ट्रीय प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा ;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, रा-ट्रीय प्राधिकरण, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिश कर सकेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में रा-ट्रीय प्राधिकरण को, तीन मास के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो रा-ट्रीय प्राधिकरण अनुज्ञात करे, सूचित करेगी ।

(3) रा-ट्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों और ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।

(4) रा-ट्रीय प्राधिकरण, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा ।

रा-ट्रीय प्राधिकरण का सलाहों या सिफारिशों के प्रति उत्तर देने का कर्तव्य ।

37. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और सभी स्तरों के लोक सेवकों का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 29 के खंड (ग) के अधीन रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा उन्हें जारी की गई सभी सलाहों और सिफारिशों पर तीस दिन के भीतर समुचित कार्रवाई करे और कार्रवाई करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करे :

परंतु रा-ट्रीय प्राधिकरण की सलाहों या सिफारिशों से कोई असहमति होने की दशा में, समुचित सरकार या लोक सेवक, सलाह या सिफारिशों के प्राप्त होने के सात दिन के भीतर रा-ट्रीय प्राधिकरण को लिखित में कारण बताएगा ।

पीड़ित व्यक्ति और इत्तिला देने वाले की पहचान की संरक्षा करना ।

38. रा-ट्रीय प्राधिकरण, सभी समयों पर पीड़ित व्यक्ति और इत्तिला देने वाले की पहचान की संरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करेगा ।

कानूनी सूचना ।

39. (1) साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के प्रादुर्भाव या उनमें से किसी के होने के पैटर्न और घटनाओं की जानकारी या सूचना रखने वाले किसी जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह रा-ट्रीय प्राधिकरण को बिना किसी विलंब के लिखित में रिपोर्ट करे ।

(2) साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा, उसके गठन और संभावनाओं और उससे संबंधित सभी सलाहों के संबंध में गृह मंत्रालय, सभी राज्य सरकारों के गृह विभागों और जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा प्राप्त सभी रिपोर्टें बिना किसी विलंब के रा-ट्रीय प्राधिकरण को भेजी जाएंगी ।

रा-ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन ।

40. रा-ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन रहते हुए नहीं करेगा या उसे उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु यह तब जब कि ऐसा कथन,--

(i) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अपेक्षा की जाए ;

(ii) जांच की वि-नय--वस्तु से सुसंगत है ।

वार्निक रिपोर्ट ।

41. (1) रा-ट्रीय प्राधिकरण, निम्नलिखित ब्यौरे देते हुए एक वार्निक रिपोर्ट तैयार करेगा,--

(क) इस अधिनियम के अधीन रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी सभी विशि-ट सलाहें और सिफारिशें ;

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा रा-ट्रीय प्राधिकरण की सलाहों और सिफारिशों के अनुपालन या अननुपालन के कारण सहित ब्यौरे ;

(ग) व-र् के दौरान रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए कोई अन्य मार्गदर्शन सिद्धांत, कार्यक्रम या किए गए अन्य क्रियाकलाप के ब्यौरे ।

(2) वार्-िक रिपोर्ट प्रत्येक कलैंडर व-र् के व-र्ाकालीन सत्र में संसद् के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 5

सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति के लिए राज्य प्राधिकरण

सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति के लिए राज्य प्राधिकरण का गठन ।

42. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, सांप्रदायिक समन्वय, न्याय और हानिपूर्ति के लिए ..... (राज्य का नाम) प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम वाला एक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्राव वाला निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और पूर्वोक्त नाम से वह वाद लाएगा तथा उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) राज्य प्राधिकरण का, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दि-ट करे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों को मिलाकर गठन किया जाएगा :

परंतु सभी समयों पर चार से अन्यून सदस्य, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाि-त समूह के होंगे :

परंतु यह और कि सभी समयों पर,--

1. एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा ;

2. चार महिलाएं, चाहे वे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य होंगी :

परंतु यह और कि सभी समय पर, एक महिला चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य हो, धार्मिक या भा-ायी अल्पसंख्यक समुदाय में से होगी।

परंतु यह भी कि सभी समयों पर दो सदस्यों से अनधिक, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं, सेवानिवृत्त लोक सेवक होंगे :

(4) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त एक सचिव होगा, जो राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी का अधिकारी होगा, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और राज्य प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(5) राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दि-ट करे ।

राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष,

43. (1) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा,

उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ।

उसके स्वहस्ताक्षरित और मुद्रांकित वारंट द्वारा की जाएगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी :

(i) राज्य का मुख्यमंत्री -- अध्यक्ष

(ii) राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता -- सदस्य

(iii) राज्य विधान परि-द् में विपक्ष का नेता -- सदस्य

(iv) राज्य सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री -- सदस्य

(v) राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष -- सदस्य

परंतु यह और कि जहां चयन समिति के बताए गए किसी समय पर सदस्यों की समसंख्या है, वहां राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष चयन समिति का अतिरिक्त सदस्य होगा ।

स्प-टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता'' में जब ऐसे किसी नेता को इस प्रकार मान्यता प्रदान नहीं की गई है, राज्य विधान सभा में सरकार के विपक्ष का एकल बड़े समूह का नेता सम्मिलित होगा ।

स्प-टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''राज्य विधान परि-द् में विपक्ष का नेता'' में जब ऐसे किसी नेता को इस प्रकार मान्यता प्रदान नहीं की गई है, राज्य विधान परि-द् में सरकार के विपक्ष का एकल बड़े समूह का नेता सम्मिलित होगा ।

(2) राज्य सरकार द्वारा चयन की प्रक्रिया सर्वप्रथम उसके गठन के तीन मास के भीतर और विद्यमान राज्य प्राधिकरण की पदावधि पूरी होने के तीन मास पूर्व आरंभ की जाएगी और उसे तीन मास के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(3) चयन समिति का विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

अर्हताएं ।

44. (1) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की निम्नलिखित अर्हताएं होंगी और उनका चयन निम्न व्यक्तियों में से किया जाएगा :

(क) जो विधि या आपराधिक न्याय या मानवाधिकारों या समाज शास्त्र या किसी अन्य सम्बद्ध विज्ञान की बाबत सुविज्ञाता हो ;

(ख) जिसका साम्प्रदायिक समन्वय को बढ़ावा देने का रिकार्ड हो ;

(ग) जो उच्च नैतिक चरित्र, नि-पक्षता और सत्यनि-ठा वाला हो ; और

(घ) जो, अपने चयन से एक व-र् की अवधि से किसी राजनैतिक दल का सदस्य न रहा हो ;

(2) कोई भी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा, यदि,--

(क) उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध, जिसमें भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन उपबंधित कोई जांच लंबित है या उसे ऐसे अपराध के लिए दो-नसिद्ध किया गया है ;

(ख) उसने किसी रीति में कार्य द्वारा या लिखित में अथवा उससे अन्यथा किसी समूह के विरुद्ध पक्षपात प्रदर्शित किया है ; या

(ग) किसी अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हुए, चाहे वह लोक सेवक हो या अन्यथा, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या उसे ऐसी किसी कार्यवाही में दो-ी पाया गया है ।

(3) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, उनकी पदावधि पूरी होने के पश्चात् दो व-र्ा की अवधि तक, या तो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन, भारत संघ के रा-ट्रपति या उपरा-ट्रपति के पद के सिवाय कोई निर्वाचन नहीं लड़ेंगे ।

राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि ।

45. (1) राज्य प्राधिकरण के सदस्य, छह व-र्ा की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर सेवा करेंगे :

परंतु पहले चयन पर दो सदस्यों की दो व-र्ा की अवधि के लिए, दो सदस्यों की चार व-र्ा की अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी और शे-ा की छह व-र्ा की अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी ।

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है या करती है, दो व-र्ा की अवधि के लिए पद धारण करेगा या करेगी ।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति, उसी हैसियत में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(4) पहले निर्वाचन के सिवाय, राज्य प्राधिकरण में केवल दो व-र्ा की सेवा वाले सदस्य ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अर्ह होंगे ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना ।

46. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा या सकेगी ।

(2) धारा 44 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल साबित कदाचार या क्रियात्मक असमर्थता के आधार पर रा-ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को रा-ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि उस व्यक्ति को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य,--

(क) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा है या लगी है ; या

(ख) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदो-ा ठहराया जाता है, जिसमें रा-ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतग्रस्त है,

तो रा-ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा ।

राज्य प्राधिकरण की रिक्तियां ।

47. (1) राज्य प्राधिकरण के किसी कार्य या कार्यवाही को, केवल किसी रिक्ति विद्यमान होने के आधार पर या राज्य प्राधिकरण के गठन में कोई दो-ा होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या उसे अविधिमान्य नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी कारण से राज्य प्राधिकरण में कोई पद रिक्त होने की दशा में, रिक्ति उद्भूत

होने के दो मास के भीतर उस रिक्ति को भरने के लिए धारा 43 के अनुसार चयन किया जाएगा ।

(3) किसी रिक्ति को भरने के लिए इस प्रकार नियुक्त कोई सदस्य, पूर्व पदाधिकारी की शे-न पदावधि तक सेवा करेगा और यदि वह अवधि दो व-र्ा या उससे कम है तो वह एक पूर्ण अवधि के लिए पुनः चयन किए जाने का पात्र होगा ।

राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

48. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु, न तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्ते और न ही सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

राज्य प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया ।

49. (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन राज्य प्राधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने की शक्ति होगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव या इस निमित्त राज्य प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द ।

50. (1) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण को ऐसी पुलिस और पुलिस महानिदेशक से अन्यून पंक्ति के अधिकारी के अधीन ऐसा अन्वे-ाण कर्मचारिवृन्द को उपलब्ध कराएगी जो राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के पर्याप्त पालन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(2) ऐसे नियमों के अध्यधीन जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकें, राज्य प्राधिकरण ऐसे अन्य प्रशासनिक तकनीकी कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझ सके ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विहित किया जा सके ।

राज्य प्राधिकरण के कृत्य ।

51. राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित सभी कृत्यों या किसी कृत्य का पालन स्वयं या इसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से करेगा अर्थात् :--

(क) किसी भी माध्यम से, जिस किसी रीति में, जिसके अंतर्गत् रा-ट्रीय प्राधिकरण के निदेशों के अधीन निम्नलिखित पर सूचना प्राप्त करना और संग्रहण करना भी है :

(i) कोई कार्य जो सांप्रदायिक और लक्षयित हिंसा की ओर राज्य या गैर राज्य कर्ताओं द्वारा तैयारी को उपदर्शित करता है ;

(ii) किसी रुप का संचार, प्रचार, गतिशीलता या व्यक्तियों के क्रियाकलाप जो समूहों के विरुद्ध शत्रुता या घृणा को बढ़ावा दे सकें ।

(ख) धारा 52 के खंड (क) के संबंध में राज्य और गैर राज्यकर्ताओं को सलाह और सिफारिशें जारी करना ।

परंतु जहां प्राप्त जानकारी संगठित सांप्रदायिक और लक्षयित हिंसा से संबंधित है वहां राज्य प्राधिकरण, राज्य या गैर राज्य कर्ताओं को सलाह या सिफारिशें जारी नहीं करेगा किंतु रा-ट्रीय प्राधिकरण को सिफारिश करेगा कि ऐसी सलाह या सिफारिशें जारी की जाए ;

परंतु यह और कि जंहा किसी राज्य प्राधिकरण ने इस अधिनियम के अधीन विहित व्यक्तियों के अनुसार जांच प्रारंभ नहीं की हैं या जांच के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रा-ट्रीय प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है वहां रा-ट्रीय प्राधिकरण वि-नय की जांच

करेगा ;

परंतु यह और कि जहां रा-ट्रीय प्राधिकरण ने इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों से संबंधित किसी वि-नय के संबंध में किसी स्रोत के माध्यम से प्राप्त किसी सूचना पर जांच या अन्वे-षण आरंभ कर दिया है वहां कोई राज्य प्राधिकरण उसी पर जांच या अन्वे-षण नहीं करेगा ।

(ग) धारा 29 के खंड (घ) के अधीन रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाई गई स्कीमों का क्रियान्वयन करना ;

(घ) धारा 56 के अनुसार न्याय और हानिपूर्ति के लिए ऐसी संख्या में मानव अधिकारों के प्रतिरक्षकों को नियुक्त करना जो आवश्यक समझी जा सकें ।

(ङ) घटनाओं, प्रकोपों और सांप्रदायिक और लक्षयित हिंसा के पैटर्न पर प्रत्येक तिमाही पर कम से कम एक बार नियमित प्रतिवेदनों को तैयार करना और इसे रा-ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना ;

(च) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी राहत शिविर का, जहां आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति निवास कर रहे हैं, वहां ऐसे व्यक्तियों की जीवन--दशाओं का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकार को सूचना दिए जाने के अधीन दौरा करना ;

(छ) राज्य सरकार को प्रज्ञापना के अधीन राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी कारागार या किसी अन्य संस्थान का दौरा करना जहां व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच या अन्वे-षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया गया है या ठहराया गया है ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन अपराधों का यथासमय और प्रभावी अन्वे-षण तथा अभियोजन सुनिश्चित करना जिसमें लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध सम्मिलित हैं ;

(झ) ऐसे न्यायालय के अनुमोदन से किसी न्यायालय के समक्ष लंबित सांप्रदायिक और लक्षयित हिंसा के किसी अभिकथन का अंतर्वलित करने वाली किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य जो रा-ट्रीय प्राधिकरण आवश्यक रुप से विचार कर सके और सांप्रदायिक सद्भावना के रखने और सांप्रदायिक तथा लक्षयित हिंसा के निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य प्राधिकरण का सौंपना ।

कर्तव्यों के पालन का राज्य प्राधिकरण द्वारा मानीटरी और पुनर्विलोकन ।

52. राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित के संबंध में लोक सेवकों द्वारा कर्तव्यों के पालन का संप्रेक्षण, मानिटर और पुनर्विलोकन करेगा :

(i) सांप्रदायिक और लक्षयित हिंसा के निवारण के लिए लोक सेवक द्वारा लिए गए प्रभावशाली कदम ;

(ii) सूचना का अभिलेखन, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित हुए हैं ;

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार धारा 95 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए धारा 87 के अधीन पात्र सभी व्यक्तियों की राहत, पुनर्वास, हानिपूर्ति और प्रत्यास्थापन से संबंधित समयबद्ध और पर्याप्त उपायों का उपबंध करना ।

रा-ट्रीय प्राधिकरण से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य प्राधिकरण को

53. धारा 31 के उपबंध राज्य प्राधिकरण को लागू होंगे ओर उन उपांतरणों के अधीन रहते हुए वह प्रभावी होगा जो कि रा-ट्रीय प्राधिकरण के प्रतिनिर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा जो, राज्य प्राधिकरण के प्रतिनिर्देश है ।

लागू होना ।

न्याय और हानिपूर्ति के लिए प्रतिरक्षक ।

54. (1) राज्य प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठनों सिविल सोसायटी या व्य-टियों से प्रत्येक जिले के लिए ऐसी संख्या में गैर सरकारी संगठनों या व्य-टियों की नियुक्ति के लिए नामनिर्देशन आमंत्रित कर सकेगा, जिसे आवश्यक समझा जाए, जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए ''न्याय और हानिपूर्ति के लिए मानव अधिकारों के प्रतिरक्षक'' के रुप में ज्ञात होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नामनिर्देशनों की, राज्य प्राधिकरण द्वारा, न्याय और हानिपूर्ति के लिए मानव अधिकारों के प्रतिरक्षक की नियुक्ति तीन व-र्ा की अवधि के लिए करने के लिए सम्यक रूप से जांच की जाएगी जो कि गैर सरकारी संगठन या व्य-टि होगा जिसकी विधि या मानव अधिकारों के संबंध में विशे-ाज्ञता और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का रिकार्ड़ है ।

(3) न्याय और हानिपूर्ति के लिए मानव अधिकारों का प्रतिरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि सांप्रदायिक और लक्षयित हिंसा द्वारा प्रभावित सभी व्यक्ति धारा 90 के अधीन फायदे के पात्र होंगे और भारत के संविधान या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उनके अधिकारों तक पहुंच रखने में समर्थ है या पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी सभी चीजें करेंगे जो न्याय की पहुंच के उस उद्देश्य को प्राप्त करने में आवश्यक समझे जाए ।

(4) न्याय और हानिपूर्ति के लिए मानव अधिकारों का प्रतिरक्षक संबंधित राज्य प्राधिकरण की जानकारी में किए गए या लोप किए गए ऐसे किसी कृत्य को लाएगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के समान है और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाना और बनाए रखने का प्रयास करता रहेगा ।

अध्याय—6

अन्वे-ाण, अभियोजन और विचारण

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना ।

55. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध की इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराधों के संबंध में इस अध्याय के अधीन उपबंधित विस्तार तक यथासंशोधित या अनुपूरित रूप में ही इस अधिनियम को लागू होंगे अन्यथा नहीं ।

संज्ञेय और अजमानतीय अपराधों का होना ।

56. जब तक अन्यथा विनिर्दि-ट न किया जाए, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दि-ट सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे ।

सात दिन के भीतर सूचना की अनुदित सही प्रति का दिया जाना ।

57. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित सूचना की अनुदित सही प्रति, सूचना के अभिलिखित किए जाने के सात दिन के भीतर इत्तिला देने वाले या पीड़ित को उसके द्वारा समझी जाने वाली भा-ा में प्रदाय की जाएगी ।

(2) जहां कोई सूचना इलैक्ट्रानिक संसूचना जिसमें इलैक्ट्रानिक डाक या फैक्स भी सम्मिलित हैं, के माध्यम से प्राप्त होती है वहां ऐसी इलैक्ट्रनिक संसूचना पूर्ण रुप से और शुद्ध रुप में ऐसी रीति में अभिलिखित की जाएगी जिसके अनुवाद में ऐसी इलैक्ट्रानिक संसूचना की मूल अंतर्वस्तु न-ट न हो और ऐसी इलैक्ट्रानिक संसूचना की सही अनूदित प्रति, उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित और इत्तिला देने वाले व्यक्ति या पीड़त को प्रदाय की जाएगी ।

सूचना का अशुद्ध अभिलेखन ।

58. कोई इत्तिला देनेवाला जो विश्वास करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उपधारा (1) में निर्दि-ट सूचना शुद्ध या पूर्ण रुप से अभिलिखित नहीं की गई है या अभिलिखित सूचना की प्रति प्राप्त करने में सफल रहता है यदि मौखिक रुप से या इलैक्ट्रानिक

रुप से प्रस्तुत की गई है, तो वह लिखित में डाक द्वारा यथास्थिति संबंध पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त को ऐसी सूचना का सार भेज सकेगा जो यदि समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी कथित अपराध का प्रकटन करती है तो वह या तो स्वयं अन्वे-ाण करेगा या इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वे-ाण कराएगा और ऐसे अधिकारी के पास उस अपराध के संबंध में स्टेशन के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी ।

राहत शिविर में सूचना का अभिलेखन ।

59. (1) पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपअधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हों, का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी जांच के संचालन के लिए इसकी स्थापना के तीन दिन के भीतर प्रत्येक राहत शिविर का दौरा करे और प्रत्येक विस्थापित हुए और राहत शिविर में रखे गए व्यक्तियों की परिस्थितियों और कारण के कथन को अभिलिखित करे ।

(2) उपधारा (1) अधीन कोई कथन इत्तिला देने वाले या पीड़ित के उसी समूह से संबंध रखने वाले दो आदरणीय नागरिकों की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा जो उनके द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए और ऐसे सब कथनों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 की उपधारा (3) के अधीन कथनों के रूप में माना जाएगा

परंतु जहां लैंगिक हमले का कोई पीड़ित कोई महिला या बालक है तो सूचना यथास्थिति उस पुलिस उपनिरीक्षक या सहायक आयुक्त पुलिस द्वारा अभिलिखित की जाएगी जो की एक महिला हो ।

परंतु यह और कि जहां इस धारा के अधीन अभिलिखित विवरण किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटन करता है, तो इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन अभिलिखित सूचना समझा जाएगा ।

ज्ये-ठ पुलिस अधिकारी का अन्वे-ाण ।

60. (1) कोई पुलिस अधिकारी जो ज्ये-ठ पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम की धारा 7 से धारा 17 (दोनों सम्मलित करते हुए) में अंतर्वि-ट किसी अपराध का अन्वे-ाण करेगा ।

महिला पुलिस अधिकारी ।

61. जहां किसी महिला या बालक के विरुद्ध लैंगिक हमले का अपराध कारित है वहां यथासंभव अन्वे-ाण किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा ।

अन्वे-ाण के दौरान कथन या साक्ष्य का अभिलेखन ।

62. (1) अन्वे-ाण अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अन्य अपराधों के अन्वे-ाण के दौरान पीड़ित या इत्तिला देने वाले को प्रस्तुत कर सकेगा जब ऐसा इत्तला देने वाला पीड़ित है, यथास्थिति मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन उसके कथन के अभिलेखन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

परंतु पीड़ित का यह अधिकार होगा कि वह ऐसे कथन के अभिलेखन के समय अपना अधिवक्ता उपस्थित रखें और इस प्रकार अभिलिखित कथन की एक प्रति उसकी उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति का कोई कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वे-ाण अधिकारी या उसकी धारा 164 के अधीन यथास्थिति, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।

(3) कोई मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे मामले में उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता है या नहीं, अनुरोध पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन किसी कथन को अभिलिखित कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन अन्वे-ाण के दौरान उसको किया गया कोई शपथपत्र किसी पीड़ित या इत्तला देने वाले व्यक्ति या साक्षी से प्राप्त कर सकेगा किंतु जांच या विचारण के प्रारंभ से पूर्व ;

(क) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी कथन (संस्वीकृति से भिन्न) सादव्य के अभिलेखन के लिए उपबंधित रीति में या मामले की परिस्थितियों के लिए उक्त मजिस्ट्रेट के सर्वोत्तम वाद में अभिलिखित किया जाएगा ; और उक्त मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति की शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित है ।

(ख) इस धारा के अधीन कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट इसे अभिहित न्यायधीश को अग्रेन्ति करेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है ।

(4) पीड़ित इत्तिला देने वाला व्यक्ति या साक्षी ऐसा कथन रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाई के लिए भी भेजेगा ।

पीड़ित की चिकित्सीय परीक्षा ।

63. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वे-ण के लिए जिसके पीड़ित को कोई शारीरिक क्षति कारित है, चिकित्सीय परीक्षा बिना किसी विलंब के ऐसे पीडित की सहमति या ऐसे पीडित की और से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों या कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा या ऐसे व्यवसायियों की अनुपस्थिति में कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा संचालित की जाएगी ।

(2) लैंगिक हमले के मामले में चिकित्सीय परीक्षा कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसमें से एक महिता होगी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164क के अधीन विहित रीति में संचालित की जाएगी और इसके अधीन ''महिला'' पद को कोई ''पुरु-ा'' सम्मिलित करके पढ़ा जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वे-ण के लिए जिनका परिणाम मृत्यु है, शव परीक्षण को बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा जो तीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों से मिल कर बनेगा जिनमें से एक महिला होगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन संचालित शव परीक्षण उसके/उसकी प्रतिनिधि की उपस्थित में किया जाएगा यदि ऐसा पीड़ित या उसके प्रतिनिधि द्वार अनुरोध किया जाता है और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी और जिसकी एक प्रति चिकित्सा रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति या उपधारा (3) के अधीन शव परीक्षण की रिपोर्ट चिकित्सा परीक्षण की समाप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर अन्वे-ण अभिकरण और यथास्थिति पीड़ित या उसके प्रतिनिधि को दी जाएगी ;

परंतु जहां रसायनिक विश्ले-ण किया गया वहां रसायन विश्ले-ण की रिपोर्ट पंद्रह दिन के भीतर अन्वे-ण अभिकरण और पीड़ित को उपलब्ध कराई जाएगी ।

वीडियोग्राफिक और फोटोग्राफिक साक्ष्य ।

64. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित साक्ष्य के संग्रहण में अपराध के दृश्य की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी सम्मिलित होगी और वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन मामले की रिपोर्ट के भाग का निर्माण करेगी ;

परंतु ऐसे साक्ष्य के अभिलेख में किसी चूक की दशा में उसका किसी रीति में विचारण पर अच्छा प्रभाव नहीं होगा ।

अभिलेखों और दस्तावेजों का परिरक्षण।

65. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है वहां संबद्ध पुलिस अधिकारी जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा, अपराध हुआ है, पुलिस नियंत्रण अभिलेख, मामला डायरी, स्टेशन डायरी या कोई अन्य अभिलेख सहित अभिलेखों को जो किसी भी तरह इस प्रकार किए गए अपराध के अन्वे-ण से संबंध है,परिरक्षित रखेगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया वहां पुलिस अधीक्षक, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है, वहां सभी अस्पतालों को चाहे वह सार्वजनिक हों या प्राइवेट, सभी चिकित्सा और अस्पताल के अभिलेखों को रखने के लिए अधिसूचित करेगा और ऐसे अस्पताल ऐसे अभिलेखों को रखने के लिए आबद्य होंगे ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है वहां पुलिस अधीक्षक जिसकी अधिकारिता में ऐसा अपराध किया गया है सभी दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं चाहे वे सार्वजनिक हो या प्राइवेट, समुचित डाटा संग्रहण में सभी अभिलेखो को रखने के लिए अधिसूचित करेगा और सभी ऐसे सेवा प्रदाता समुचित डाटा रुप में ऐसे अभिलेखों को रखने के लिए आबद्ध होंगे ।

परंतु इस धारा के अधीन अभिलेखों को न्यूनतम पचास व-र्षों की अवधि या संबंधित मामले में विधिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो परिरक्षित रखा जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे परिरक्षित अभिलेखों को, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से पचास व-र्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् न-ट किया जा सकेगा ।

अन्वे-ण के दौरान पीड़ित का सूचना का अधिकार ।

66. (1) पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा अभिहित अधिकारी पीड़ित को अपराध के अन्वे-ण की प्रगति के बारे में लिखित में सूचित करेगा चाहें अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, आरोप पत्र दिया गया है, जमानत मंजूर, की गई है, आरोपित है, दो-नसिद्ध ठहराया गया है या दंडादेश दिया गया है या नहीं और यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए आरोपित किया गया है फिर संदिग्ध अपराधी का नाम सूचित किया जाएगा ।

(2) पीड़ित का यह अधिकार होगा कि विचारण के दौरान अभिलिखित साक्षी के कथन की कोई प्रति और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोपपत्र या समापन रिपोर्ट सहित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में अधीन सभी कथनों और दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करे ।

विलंब या पक्षपातपूर्ण अन्वे-ण के संबंध में रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को सूचना ।

67. (1) अन्वे-ण की किसी प्रक्रिया जिसमें नि-पक्षता या औचित्यता का अभाव या पक्षपातपूर्ण प्रकृति या साक्ष्य प्राप्त करने या इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के संबंध में साक्षियों की परीक्षा में अन्वे-ण अभिकर्ता की चूक सम्मिलित है, के बारे में व्यथित पीड़ित या इत्तिला देने वाला व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि इस संबंध में वह इस अधिनियम के अधीन गठित रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को परिवाद करे ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्राप्त किसी परिवाद पर यह प्रतीत होता है कि नि-पक्षता या सत्यता का अभाव रहा है या अन्वे-ण अभिकरण के भाग पर यह पक्षपातपूर्ण था या यह साक्ष्य प्राप्त करने या अन्वे-ण के दौरान साक्षी की परीक्षा करने में यह असफल रहा है वहां रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वे-ण करने के लिए धारा 68 के अधीन उपबंधित रीति में अतिरिक्त अनवे-ण या पुनःअन्वे-ण के आदेश को करने के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

अतिरिक्त अन्वे-ण या पुनःअन्वे-ण ।

68. (1) जहां--

(क) दंड प्रक्रिया संहिता की धार 173 के अधीन कोई रिपोर्ट, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन सूचना के अभिलेखन की तारीखसे नब्बे दिन के भीतर फाइल नहीं की जाती है ; या

(ख) धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन की गई किसी जांच पर रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण इस नि-कर्ष पर पहुंचा है कि इस अधिनियम के किसी अपराध का अन्वे-ण उचित नि-पक्ष या पक्षपात रहित नहीं किया गया है, वह राज्य सरकार को

अतिरिक्त अन्वे-ाण या पुनःअन्वे-ाण करने के लिए आदेश का अनुरोध कर सकेगा ।

अन्वे-ाण अधिकारी इस प्रकार संचालित किसी अन्वे-ाण के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक को विहित समय के भीतर फाइल करने में चूक के लिए कारणों को देते हुए रिपोर्ट फाइल करेगा, खंड (क) में यथाअंतर्वि-ट ऐसी रिपोर्ट या खंड (ख) के ऐसे अनुरोध की अग्र परिस्थितियां और उस पर की गई कार्रवाई होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई रिपोर्ट का पुनर्विलोकन अभियोजन निदेशालय द्वारा किया जाएगा जहां ऐसा निदेशालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25क के अधीन गठित है या जहां कोई ऐसा निदेशालय गठित नहीं है वहां पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के किसी अधिकारी की प्रमुखता में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा और जो किसी अन्य अधिकारी जो पुलिस उपअधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा अन्वे-ाण या पुनःअन्वे-ाण के ऐसे आदेशों को पारित का सकेगा जब कभी इस नि-क-र्ा पर पहुंचे कि पहले ही किए गए अन्वे-ाण को ध्यान में रखते हुए ऐसा अन्वे-ाण आवश्यक होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित यथास्थिति अभियोजन निदेशालय या पुनर्विलोकन समिति ऐसे अपराधों के मामलों का भी पुनर्विलोकन कर सकेगी जहां जहां दो-ा मुक्ति या अनुपयुक्त दंडादेश में विचारण समाप्त है और जब कभी आवश्यक हो अपील फाइल करने के लिए आदेश करे सकेगा ।

संगठित सांप्रदायिक लक्ष्यित हिंसा के घटित होने पर न्यायिक जांच ।

69. (1) जहां धारा 9 के अधीन अंतर्वि-ट संगठित सांप्रदायिकता और लक्ष्यित हिंसा का अपराध घटित होता है वहां राज्य सरकार, ऐसे लोक सेवकों द्वारा, जो ऐसी हिंसा को होने से रोकने के लिए विधिक रुप से आबद्ध हैं, लोक कृत्यों के निर्वहन के संबंध में पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वे-ाण के अतिरिक्त उस राज्य, जहां ऐसी हिंसा घटित हुई है, के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच संचालित करने का आदेश करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट कोई जांच, संगठित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के घटित होने के नब्बे दिन के पश्चात् किसी मामले में नहीं होगी ।

(3) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन सभी शक्तियां ऐसी होंगी मानों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उक्त अधिनियम के अधीन जांच कर रहे हों ।

(4) इस उपधारा के अधीन किसी जांच का कर रहा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अन्य बातों के साथ--साथ इस बात की जांच करेगा कि क्या कर्तव्य में निर्वहन में ऐसे लोक सेवक द्वारा सम्यक् तत्परता बरती गई थी ।

(5) जहां इस धारा के अधीन जांच कर रहा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश साक्ष्य पर यह पाता है कि लोक सेवक का आचारण इस अधिनियम के अधीन यथापरिभा-ित कर्तव्य का परित्याग गठित करता है वहां वह यह निदेश देगा कि ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 154 के अधीन सूचना लेखबद्ध करे ।

साक्ष्य

लैंगिक हमले के लिए साक्ष्य संबंधी मानक ।

70. केवल लैंगिक हमले के पीड़ित के परिसाक्ष्य पर ही इस अधिनियम के अधीन पदाभिहित न्यायाधीश इस नि-क-र्ा पर पंहुच सकेगा कि अभियुक्त द्वारा उक्त पीड़ित के विरूद्ध लैंगिक हमले का अपराध कारित किया गया है :

परंतु लैंगिक हमले के अपराध के अभियोजन में, पीड़ित की प्रतिपरीक्षा में उसके पूर्व साधारण अनैतिक चरित्र के संबंध में प्रश्न पूछना या ऐसे पीड़ित के पूर्व लैंगिक आचार के किसी साक्ष्य पर निर्भर करना अनुज्ञेय नहीं होगा ।

कृत्य की प्रकृति और परिस्थितियों से नि-कर्-ा ।

71. जहां ये प्रश्न उदभूत होता है कि क्या किसी समूह के सदस्य के विरुद्ध कारित अपराध उसके विरुद्ध किया गया था या उसकी किसी समूह की सदस्यता के कारण, यह नि-कर्-ा निकाला जाएगा कि यह कृत्य की प्रकृति और परिस्थितियों के कारण इस प्रकार निदेशित था ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए उपधारणा ।

72. (1) इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध के अभियोजन में या उपदर्शित किया जाता है कि अभियुक्त ने धारा 8 के अधीन धृणा फैलाने का अपराध कारित किया है या दु-प्रेरणा की है या कारित करने का -ांड्यत्र किया है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाए यह माना जाएगा कि अपराध जानबूझकर किसी व्यक्ति की किसी समूह की सदस्यता के कारण उसके विरुद्ध निदेशित था ।

(2) जब संगठित सांप्रदायिक और लक्षित करके हिंसा करने का अपराध कारित किया जाता है और यह उपदर्शित किया जाता है कि किसी समूह के विरुद्ध विरोधी वातावरण विद्यमान है और किसी समूह के विरुद्ध धारा 8 के अधीन घृणा फैलाने का अपराध कारित किया गया है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उक्त अपराध जानबूझकर किसी समूह से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी उस समूह से सदस्यता के कारण निदेशित था ।

कार्यवाहियां आरंभ करना

उन्मुक्ति का अधित्यजन ।

73. (1) संविधान या इस अधिनियम के अधीन उपबंधित के सिवाय किसी व्यक्ति की कोई शासकीय क्षमता के कारण उपाबद्ध विशे-ा प्रक्रियात्मक नियम उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लिए कोई अवरोध नहीं होंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कारित अपराधों के लिए संप्रभू उन्मुक्ति की प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगी ।

कतिपय अपराधों के लिए मंजूरी का अपेक्षित न होना ।

74. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के धारा 196 और धारा 197 के उपबंध अनुसूची 3 के अधीन लोक सेवकों को लागू नहीं होंगे और पद नामित न्यायाधीश ऐसे अपराधों का यह समाधान होने पर कि उक्त अपराध कारित किए गए हैं, संज्ञान ले सकेगा :

परंतु लोक सेवक द्वारा उन अपराधों के लिए अभियोजन, जिनके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 196 और धारा 197 के अधीन अपेक्षित मंजूरी अपेक्षित है, को उसी लोक सेवक द्वारा किसी संबंधित अपराध के लिए मंजूरी के अभाव में रोका नहीं जाएगा ।

राज्य और लोक सेवकों द्वारा अपराधों के लिए अभियोजन ।

75. (1) जहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 196 और धारा 197 के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है और, यथास्थिति, संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसा आवेदन करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसे लोक सेवक का अभियोजन करने के या न करने के आदेश की संसूचना नहीं देती है तो 30 दिनों की उक्त अवधि के अवसान पर आवेदित मंजूरी को प्रदान किया गया मान लिया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सिवाय कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के मंजूरी से इंकार नहीं किया जाएगा ।

विशे-ा लोक अभियोजक ।

76. (1) प्रत्येक राज्य के लिए संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन के लिए विशे-ा लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी, और जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थान्तर्गत धारा 24 की उपधारा (8) के अधीन विशे-ा लोक अभियोजक माने जाएंगे ।

(2) विशे-ा लोक अभियोजक इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन का संचालन

उचित और नि-पक्ष रीति में और न्याय के हित में करेंगे । किसी विशे-न लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्षपात रूप में और सूचना दाता या पीड़ित के हितों के विरुद्ध करने की दशा में राज्य सरकार स्वयं या किसी पीड़ित या सूचना दाता से प्राप्त सूचना पर विशे-न लोक अभियोजक को बदल सकेगी ।

अभिहित न्यायाधीश

अभिहित न्यायाधीशों को नियुक्ति करने की शक्ति ।

77. (1) संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श से उतने अभिहित न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी जैसे कि ऐसे मामले या मामलों के समूह के लिए अधिसूचना में निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए विनिर्दि-ट किए जाएं :

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध ; और

(ख) खंड (क) में विनिर्दि-ट किन्हीं अपराधों को कारित करने के लिए कोई -ाड्यंत्र या कोई प्रयास या दु-प्रेरण ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य में विद्यमान अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार की यह राय है कि राज्य के बाहर उपधारा (1) के अधीन विनिर्दि-ट ऐसे अपराधों के विचारण के लिए अतिरिक्त अभिहित न्यायाधीश नियुक्त करना समीचीन है, जिनका राज्य में विचारण --

(क) उचित या नि-पक्ष या अधिकतम तीव्रता के साथ नहीं होगा ; या

(ख) शांति भंग होने के बिना या अभियुक्तों, साक्षियों, लोक आयोजकों और न्यायाधीश या उनमें से किसी की सुरक्षा को गंभीर जोखिम के बिना नहीं हो सकेगा ; या

(ग) अन्यथा न्याय के हित में नहीं है,

यह केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) के अधीन ऐसे अपराधों के संबंध में राज्य से बाहर अभिहित न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और तदुपरांत केंद्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को गणना में लेने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, अधिसूचना द्वारा ऐसा अतिरिक्त अभिहित न्यायाधीश राज्य से बाहर ऐसे स्थान में जो वह अधिसूचना में विनिर्दि-ट करें, नियुक्त कर सकेगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायाधीश या अतिरिक्त अभिहित न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति सिवाय तब के अर्हित नहीं होगा जब तक वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन सत्र न्यायाधीश न हो ।

अभिहित न्यायाधीशों द्वारा विचारण किए जाने वाले मामले ।

78. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के अंतर्वि-ट होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन विनिर्दि-ट अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अभिहित न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन विनिर्दि-ट प्रत्येक अपराध का विचारण, यथास्थिति, उस क्षेत्र, जिसमें वह कारित किया गया था, के अभिहित न्यायाधीश, या उस मामले के लिए नियुक्त अभिहित न्यायाधीश या जहां ऐसे किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक अभिहित न्यायाधीश हैं उनमें से ऐसे किसी एक के द्वारा किया जाएगा जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दि-ट किया जाए ।

(3) किसी अभियुक्त व्यक्ति का विचारण करने के समय अभिहित न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन विनिर्दि-ट किसी अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा, जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अभियुक्त पर उसी विचारण में आरोप

लगाया गया है यदि अपराध इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित है ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण के प्रक्रम में यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है, चाहे ऐसा अपराध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध है या नहीं, विशे-ा न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए सिद्धदो-ा ठहरा सकता है और उसके दंड के लिए ऐसा दंडादेश पारित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो ।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी अभिहित न्यायाधीश सिवाय उन कारणों के जो किसी के भी नियंत्रण से बाहर हैं, किसी अपराध के लिए विचारण दिन--प्रतिदिन के आधार पर कर सकता है ।

अभिहित न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्ति ।

79. (1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अभिहित न्यायाधीश किसी अभियुक्त को विचारण के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करने के बिना अपराधों का संज्ञान ले सकेगा ।

(2) अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण करने में अभिहित न्यायाधीश वारंट मामलों के विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध जहां तक वह इस अधिनियम से असंगत नहीं है, अभिहित न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय माना जाएगा और अभिहित न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम में यथाउपबंधित अनुसार विशे-ा लोक अभियोजक माना जाएगा ।

(4) कोई अभिहित न्यायाधीश उसके द्वारा सिद्धदो-ा व्यक्ति को ऐसा दंडादेश पारित कर सकेगा जिसके लिए ऐसा व्यक्ति सिद्धदो-ा है, के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत है ।

संपत्ति की कुर्की ।

80. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप विरचित किए गए हैं, अभिहित न्यायाधीश यह निदेश दे सकेगा कि विचारण के लंबन के दौरान और जब तक, यथास्थिति, सिद्धदो-ा या दो-ा मुक्ति न हो, अभियुक्त व्यक्ति की संपत्ति, जो उसके द्वारा उस अपराध के कारित करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गई है, कुर्क कर दी जाए ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के अधीन उपबंध इस धारा के अधीन कुर्क संपत्ति को लागू होंगे ।

सिद्धदो-ा होने पर कुर्क संपत्ति की बिक्री ।

81. (1) सिद्धदो-ा ठहराए जाने पर अभिहित न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन किसी और दंडादेश के अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित करता है, तो धारा 82 के अधीन कुर्क संपत्ति के विक्रय के लिए वह निदेश दे सकेगा और उससे प्राप्त उपाप्ति का संदाय किया जाएगा और इस प्रकार वसूली गई रकम को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 89, धारा 90, धारा 95, धारा 96 और धारा 104 के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों को उचित रूप से चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने की संभावना वाले व्यक्ति को हटाना ।

82. (1) जहां किसी अभिहित न्यायाधीश का स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है, वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को स्वयं ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से बाहर ऐसे मार्ग द्वारा ऐसे समय के भीतर जो वह आदेश में विनिर्दि-ट कर सकेगा, हटाने का निदेश दे सकेगा और उस क्षेत्र में जिससे उसे स्वयं हटने का निदेश दिया गया था, ऐसी अवधि में जो छह मास से अधिक नहीं होगी, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दि-ट किया जाए, वापस नहीं लौटने का निदेश दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ अभिहित न्यायाधीश उस उपधारा के अधीन निदेशित व्यक्ति को ऐसा आदेश करने के आधारों से संसूचित करेगा ।

(3) अभिहित न्यायाधीश कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए उस व्यक्ति के अभ्यावेदन पर, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अभ्यावेदन पर आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।

इस अधिनियम के अधीन विचारण के दौरान पीड़ितों के अधिकार ।

83. (1) यह राज्य का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह पीड़ितों और साक्षियों की किसी भी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरण या हिंसा या हिंसा की धमकी से संरक्षा के लिए प्रबंध करे ।

(2) किसी पीड़ित से ऋजुता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा और पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षिक अलाभ या गरीबी के कारण उद्‌भूत विशे-ा आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा ।

(3) पीड़ित को युक्तियुक्त, सही और न्यायिक कार्यवाहियों, जिसमें कोई जमानत कार्यवाहियां भी हैं, का अधिकार होगा :

परंतु यह कि विशे-ा लोक अभियोजक या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पीड़ित को सूचित करेगी ।

(4) पीड़ित को किन्हीं दस्तावेजों या तात्विक साक्षियों या उपस्थित व्यक्तियों की जांच करने के लिए समन करने के लिए न्यायालय को आवेदन करने का अधिकार होगा ।

(5) किसी पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन जमानत निर्मुक्ति, छुटने, पैरोल, सिद्धदो-ा या किसी सिद्धदो-ा की सजा या संबंधित कार्यवाहियों या जिरह और सिद्धदो-ा, दो-ामुक्ति या सजा पर लिखित निवेदन करने के संबंध में सुने जाने का हकदार होगा ।

(6) किसी पीड़ित को मुफ्त विधिक सेवा लेने और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सेवा पैनल में नामांकित अधिवक्ताओं या उनकी पसंद के किसी अन्य अधिवक्ता को लेने का अधिकार होगा और इस अधिनियम के अधीन स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित द्वारा या सूचनादाता द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं की सभी लागत, व्यय और फीसों का उस दर पर संदाय करेगी जो विशे-ा लोक अभियोजकों को संदेय फीस से कम नहीं होगी ।

पीड़ितों, सूचनादाताओं और साक्षियों की संरक्षा ।

84. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला अभिहित न्यायाधीश पीड़ित, सूचनादाता या साक्षियों को न्याय दिलाने के लिए संपूर्ण संरक्षा का उपबंध करेगा ।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पीड़ित, सूचनादाता या साक्षियों को ऐसी संरक्षा का विस्तार निम्नलिखित उपबंधों तक किया जा सकेगा :

(क) पुर्नस्थापन ;

(ख) अन्वे-ाण और विचारण के दौरान यात्रा और अनुरक्षण व्यय ; और

(ग) अन्वे-ाण और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक पुनःपर्यावास ।

(3) राज्य संबंधित अभिहित न्यायाधीश को धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन किसी पीड़ित, सूचनादाता या साक्षियों को उपबंधित संरक्षण से सूचित करेंगे और अभिहित न्यायाधीश आवधिक रूप से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित संरक्षण का पुनर्विलोकन करेगा और

यथोचित आदेश पारित करेगा ।

(4) उपधारा (1) की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभिहित न्यायाधीश उसके समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में पीड़ित, सूचनादाता या साक्षियों के या किसी पीड़ित सूचनादाता या साक्षियों के संबंध में स्वयं के किसी आवेदन पर ऐसे उपाय करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) अपने आदेशों या निर्णयों में या जनता की पहुंच में किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पते को वर्णित नहीं करना ;

(ख) साक्षियों की पहचान और पते का अप्रकटन के लिए निदेश जारी करना ;

(ग) किसी पीड़ित, सूचनादाता या साक्षियों को परेशान करने की किसी शिकायत पर तुरंत व्यौहार करना और संरक्षण के लिए उसी दिन यथोचित आदेश पारित करना ;

परंतु यह कि खंड (ग) के अधीन अभिप्राप्त किसी शिकायत की जांच या अन्वे-ाण पर विचारण मुख्य मामले से पृथक् रूप में अभिहित न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा और शिकायत अभिप्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर इसे पूरा किया जाएगा ;

परंतु यह और कि जहां खंड (ग) के अधीन शिकायत किसी लोक सेवक के विरुद्ध है, न्यायालय ऐसे लोक सेवक को, यथास्थिति, पीड़ित, सूचनादाता या साक्षियों से लंबित मामले से संबंधित या उससे असंबंधित किसी मामले में सिवाय अभिहित न्यायाधीश की विनिर्दि-ट अनुज्ञा के तुरंत हस्तक्षेप करने से रोकेगा ।

(5) अन्वे-ाण अधिकारी और स्टेशन हाऊस आफिसर का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ित, सूचनादाता या साक्षियों की किसी अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरण या हिंसा या हिंसा की धमकी, की शिकायत को चाहे जुबानी दी गई हो या लिखित में अभिलिखित करेगा और इसकी एक प्रति राज्य प्राधिकारी को उसे अभिलिखित करने के 24 घंटों के भीतर भेजी जाएगी । पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भी उक्त शिकायत को दर्ज करने का हकदार होगा ।

(6) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रभारी अधिकारी उपधारा (5) के अधीन किसी शिकायत के अभिप्राप्त होने पर उसे संबंधित अभिहित न्यायाधीश को 24 घंटें के भीतर भेजेगा ।

(7) राज्य प्राधिकरण का सदस्य यदि ऐसा सदस्य अधिमानतः संबंधित जिले से उपलब्ध है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय का सप्ताह में एक बार पीड़ित सूचनादाता या साक्षियों को अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरण या हिंसा या हिंसा की धमकी शिकायतों की निगरानी के लिए दौरा करेगा और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की संवीक्षा करेगा । दक्ष अनुवर्ती कार्रवाई और संरक्षण के लिए राज्य प्राधिकरण के उक्त सदस्य को संबंधित अभिहित न्यायाधीश को जब अपेक्षित हो, समावेदन करने की शक्ति होगी ।

न्यायालय की कार्यवाहियों का अभिलेख ।

85. इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियों का वीडियों अभिलेखन किया जाएगा ।

अपील और पुनरीक्षण ।

86. (1) इस अधिनियम के उपबंधों की शर्तों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय, जहां तक वे लागू हों, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा किसी उच्च न्यायालय को प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की शक्तियां मानो की अभिहित न्यायाधीश सत्र न्यायालय है जो उच्च न्यायालय की स्थानीय सेवाओं के भीतर मामलों का विचारण कर रहा है, का निर्वहन कर सकेगा :

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से 60 दिनों

की अवधि के भीतर की जाएगी ।

परंतु अधिकारिता रखने वाला उच्च न्यायालय उक्त 60 दिनों की अवधि के भीतर अपील ले सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त 60 दिनों की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

अध्याय 7

उपचार और हानिपूर्ति

उपचार और हानिपूर्ति का अधिकार ।

87. (1) कोई व्यक्ति, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित किसी समूह से संबंध रखता है या नहीं, जिसने इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या धनीय हानि उठाई है या जिसकी संपत्ति को कोई हानि हुई है या जब उस अपराध के परिणामस्वरूप मृत्यु कारित हुई है, ऐसे मृतक व्यक्ति का रक्त संबंधी इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में यथा लागू उपचार और हानिपूर्ति जिसके अंतर्गत प्रतिकर, प्रत्यास्थापन और पुनर्वास भी है, का हकदार होगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसी मृत्यु के लिए प्रतिकर ऐसे व्यक्ति के रक्त संबंधी, यथास्थिति, पत्नी या पति अभिभावक, बालक, यदि कोई हो, को संदत्त किया जाएगा और पूर्वोक्त वर्णित पक्षकारों या उनमें से किसी को बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा ।

उपचार और हानिपूर्ति का उपबंध करने का कर्तव्य ।

88. (1) कलेक्टर के कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में धारा 87 के अधीन हकदार सभी व्यक्तियों के लिए उपचार और हानिपूर्ति जिसके अंतर्गत प्रतिकर, प्रत्यास्थापन और पुनर्वास भी है, का उपबंध करेगी ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह प्रत्येक कलेक्टर का कर्तव्य होगा कि वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि इस अध्याय के अधीन बाध्यताओं के निष्पादन में पर्याप्त अधीक्षण और नियंत्रण है ।

व्यक्तियों और संपत्ति की तुरंत सुरक्षा का सुनिश्चय करने का कर्तव्य ।

89. (1) राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य के मुख्य सचिव, महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षकों या पुलिस आयुक्त और कलेक्टर के साथ समन्वयन से यह सुनिश्चित करेगी कि धारा 87 के अधीन वर्णित कोई व्यक्ति जिसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति को खतरा है या उसे ऐसे धमकी का अंदेशा है, को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें प्रभावित क्षेत्र के आस--पास पुलिस पोस्ट और पीकेटों का सृजन करना और अस्थायी पुर्नस्थापन, यदि आवश्यक हों, का उपबंध करना भी है ।

(2) राज्य सरकार और कलेक्टर सुनिश्चित करेगा कि धारा 87 में वर्णित ऐसी व्यक्तियों की सभी संपत्तियां चाहे अचल या चल संरक्षित की गई है, विशिष्टतया किसी साधन द्वारा नष्ट के विरोध में, बर्बरता, विनियोग, वृत्ति, उजाड़ना, क्षति, अन्य संक्रमण, दुरूपयोग, विक्रय या स्थानान्तरण ।

(3) ऐसी व्यक्तियों की संपत्ति का कोई अन्य संक्रमण, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट साम्प्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के कारण हुआ माना जा सकता है, शून्य होगा ।

राहत शिविर की स्थापना ।

90. (1) जब संगठित साम्प्रदायिकता और लक्ष्यित हिंसा होती है तो राज्य सरकार आंतरिक रूप से विस्थापित सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित अवस्थानों पर राहत शिविर स्थापित करेगी :

परंतु ऐसे राहत शिविर तब तक बंद नहीं किए जाएंगे जब तक सभी व्यक्ति धारा 96 के अनुसार स्वैच्छिक रूप से पुनःस्थापित नहीं किए जाते है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन राहत शिविर राज्य सरकार द्वारा तब तक प्रचालित किए जाते रहेंगे जब तक आंतरिक रूप से विस्थापित सभी व्यक्तियों को उनके मूल आवासों पर नहीं लौटाया जाता है या नई उपयुक्त स्थान में पुनर्वासन नहीं किया जाता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्थापित राहत शिविर, शिविर परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए और भेदभाव किए बिना आंतरिक रूप से विस्थापित सभी व्यक्तियों को न्यूनतम रूप से निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा :--

(क) आधारभूत शरण, जिसमें मौसम के अत्यधिक से शिवरों के आवासियों को समुचित और पर्याप्त संरक्षण करना और जिसमें स्त्रियों और लड़कियों को विशे-ा रूप से एकांत स्थान सम्यक् रूप से उपलब्ध कराना ;

(ख) राहत शिविर में चौबीस घंटे सुरक्षा ;

(ग) पर्याप्त पौ-टिक और सांस्कृतिक रूप से समुचित भोजन ;

(घ) पेयजल ;

(ङ) पर्याप्त कपड़े, जो सांस्कृतिक रूप से समुचित है और मौसम के अत्याधिक से शिविर के आवासियों की पर्याप्त संरक्षण ;

(च) आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं, जिसमें गर्भवती माताओं की पूर्व प्रसव और प्रसव पश्चात् देखभाल भी है, बाल चिकित्सा देखभाल और आपातकाल तथा आहत व्यक्ति के लिए पुनर्वासीय सेवाएं और रेफरल सेवाएं, जहां कहीं आवश्यक हो, भी है ;

(छ) पर्याप्त स्वच्छता ;

(ज) मनो--सामाजिक और अभिघात परामर्श और मनोविकृति संबंधी सेवाएं ;

(झ) शिशुओं और छोटे बालकों के लिए शिशु देखभाल सेवाएं ;

(ञ) बालकों के लिए शैक्षिक सुविधाएं ;

(ट) विशे-ा सुविधाएं और सहायता, जो राहत शिविरों के कतिपय निवासियों की चिकित्सीय दशा और उनके उपचार के लिए आवश्यक और युक्तियुक्त हो, जैसे बालक विशे-ा रूप से निराश्रित, अवयस्क, गर्भवती माताएं, तरूण बालकों वाली माताएं, गृहस्थी की स्त्री, मुखियाएं, विशे-ा आवश्यकताओं वाले बुजुर्ग और निःशक्त व्यक्ति ;

(ठ) रा-ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के सदस्यों तक पूर्ण पहुंच ।

राहत शिविरो के संबंध में कर्तव्य ।

91. आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के राहत शिविरों में अवस्थित रहने तक राज्य सरकार और विशि-टतयां कलेक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित करे :

(क) राहत शिविरों में किसी भी प्रकार के लैंगिक हमले, शो-ाण, अभित्रास, हिंसा या बलात् श्रम के किसी उदभासन से या उनके घटित होने से मुक्त वातावरण ;

(ख) एक ही राहत शिविर में रहने के लिए एक गृहस्थी एकक की कुटुंब सदस्यों के लिए उपबंध या यदि वे किसी अन्य राहत शिविर में इकठ्ठे पुनःअवस्थापित होना चाहते हैं या यदि अलग--अलग हैं तो ऐसे कुटुंबों विशि-टतया बालक और माता--पिता के अवस्थापन तथा पुनर्मिलन शीघ्र करने के लिए सभी उपाय करके यथासंभव शीघ्र पुनः मिलाने के लिए उन्हें समर्थ बनाना ;

(ग) शीघ्र राहत और पुनर्वास, जिनके अंतर्गत पहचान दस्तावेज, प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, पासपोर्ट उपलब्ध कराना, बीमा और अन्य दावों का त्वरित निपटान भी है, का उपबंध, सभी व्यक्तियों की बाबत शैक्षिक या अन्य प्रमाणपत्रों या स्वामित्व या अन्य दस्तावेजों के गुम हो जाने या उनके नुकसान ग्रस्त होने जाने के प्रमाणन के लिए उपबंध के संबंध में सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के सभी शासकीय दस्तावेजों को, जिनमें राशन कार्ड, संपत्ति सबूत, सरकारी कार्ड और पहचान, स्कूल और महाविद्यालय संबंधित दस्तावेज, निर्वाचन कार्ड भी है, परंतु उन तक सीमित नहीं है, को शीघ्र वापस लौटाना, परंतु किसी भी दशा में तीन मास के बाद नहीं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी ;

(ङ) किसी परीक्षा में बैठने के लिए संगठित और लक्ष्यित हिंसा द्वारा प्रभावित छात्रों के लिए सुविधा, ऐसी हिंसा द्वारा कारित विलंबों को माफ करना और ऐसी सुविधा, जिसमें उनके लिए सहायता केंद्र सृजित करना भी है, का उपबंध करना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के संबंध में सूचना फाइल करने के लिए और संगठित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा संबंधी किसी शिकायत के अनुसरण में कथन अभिलिखित करने के लिए पीड़ितों के लिए उपबंध ;

(छ) आंतरिक रूप से विस्थापित सभी व्यक्तियों के, जब वे राहत शिविरों में हैं, प्रतिकर का दावा करने और उसे प्राप्त करने के लिए उपबंध ;

(ज) गुमशुदा कुटुंब सदस्यों, नातेदारों या मित्रों की प्रास्थिति और उनके अते पते के बारे में जांच करना तथा सूचना देने और ऐसे गुमशुदा व्यक्तियों के अते पते और उनती दशा के अन्वे-ण की प्रगति के संबंध में यथावांछित ऐसी सूचना प्राप्त करने में उनका सहयोग करने के लिए आंतरिक रूप से विस्थापित सभी व्यक्तियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली का उपबंध ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन में विधिक सहायता तक पहुंच :

परंतु राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित सभी व्यक्तियों की और विशि-ट रूप से मूलभूत सेवाओं तथा प्रदायों के नियोजन तथा वितरण में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशे-न प्रयास किए जाएंगे :

परंतु यह और कि ऐसी सहायता व्यि-टयों और समूह की मदद से संगठित की जा सकेगी, जिसके अंतर्गत मानवाधिकार समूह भी सम्मिलित है और ऐसे व्यक्तियों के विशे-ज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना, जिसमें व्यवसायिक या अर्हताएं समूह है, जिसमें धारा 70 के अधीन वर्णित व्यक्तियों के स्त्री समूह, बाल अधिकार समूह और समर्थ समूह भी सम्मिलित है ।

राज्य निर्धारण समिति ।

92. (1) संगठित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा होने की दशा में हानिपूर्ति की मात्रा का निर्धारण के लिए समुचित सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्धारण समिति गठित की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य निर्धारण समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,--

(क) राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष — **अध्यक्ष, पदेन**

(ख) राज्य का मुख्य सचिव — **सदस्य**

(ग) रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानवाधिकार समूह का एक सदस्य — **सदस्य**

राज्य निर्धारण समिति के कृत्य ।

93. राज्य निर्धारण समिति निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगी :

(क) आंतरिक रूप से विस्थापित सभी व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत संगठित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा से प्रभावित व्यक्ति भी हैं, चाहे वे किसी राहत शिविर में रह रहे हों अथवा नहीं, को निर्धारण की प्रक्रिया और प्रयोजनों की सम्यक् जानकारी उपलब्ध कराएगी ;

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्यास्थापन के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में जीवन और संपत्ति की क्षति का सर्वेक्षण धारा 94 के अनुसार संचालित करना ;

(ग) इस प्रकार संचालित किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से पहचान किए गए आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत धारा 87 के अधीन उल्लिखित कोई व्यक्ति भी है, की धारा 95 के अनुसार सूची तैयार करना ;

(घ) धारा 96 के प्रयोजन के लिए संगठित सांप्रदायिकता और लक्ष्यित हिंसा द्वारा कारित नुकसान या क्षति का निर्धारण और सत्यापन करना ;

(ङ) धारा 87 के अधीन हकदार सभी व्यक्तियों को, उनके सभी अधिकारों को पुनःप्रदत्त करते हुए और सेवाओं का उपबंध करके धारा 98 के अनुसार उपयुक्त रूप से उनका पुनर्वास करना ;

(च) ऐसा कोई निर्धारण करना, जिसके अंतर्गत हिंसा के स्थल से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की क्षति के संबंध में आवश्यक आकंड़े और सूचना एकत्रित करना भी है ;

(छ) बजट तैयार करना, जिसके अंतर्गत प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से क्रियाकलापों या कार्यक्रमों, पुनर्वास और वापसी के विभिन्न घटकों के व्यय का अनुमान भी सम्मिलित है ।

राज्य निर्धारण समिति द्वारा सर्वे करना ।

94. (1) धारा 93 के खंड (ख) के अधीन राज्य निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक सर्वे, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रानुसार अंतर्वि-ट होंगे (ग्राम या स्थानीय) राज्य निर्धारण समिति धारा 87 के अधीन हकदार व्यक्तियों सहित आंतरिक रूप से विस्थापित सभी व्यक्तियों को, चाहे वह राहत शिविर में रह रहा या रह रही है अथवा नहीं सूचना के लिए उपयुक्त समझ सकेगी, अर्थात् :–

(क) परिवारों, जिसके अंतर्गत समूह से संबंधित आश्रित, जो संगठित सांप्रदायिकता और लक्ष्यित हिंसा द्वारा प्रभावित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवासी, किसी व्यापार में संलग्न, कारबार, व्यवसाय या पेशा भी सम्मिलित है ;

(ख) परिवारों, जिसके अंतर्गत आश्रितों ने साधारण निवास, कृनि भूमि, संपदा, नियोजन के उनके स्थान खो दिया है या विस्थापित हो गए हैं या उनके व्यापार, कारबार, व्यवसाय या पेशा के मुख्य स्रोतों से पूर्ण रूप से अन्य संक्रमणित किया गया है या सारभूत रूप से किया गया है ;

(ग) कृनि श्रमिकों, गैर कृनि श्रमिकों, व्यवसायों या कारबार आदि ;

(घ) विशि-टतया परिस्थितियों में असुरक्षित समझे गए असक्त, अकिंचन, अनाथ, विधवा, बुजुर्गों, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, क्योंकि उनको वैकल्पिक जीविका उपलब्ध नहीं है या तत्काल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है ;

(ङ) वैकल्पिक जीविका का साधन, जहां वहां सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक

बहि-कार है ;

(च) उनके स्थानान्तरण की घटना में युवाओं और बालकों पर विशे-तया संघर्-ा और उसके प्रभाव की संभावना रहती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सर्वे संचालित करते और निर्धारण करते समय, राज्य निर्धारण समिति आस्तियों और संरचना, प्रयोज्य नगरपालिका कर, स्थानीय सर्किल दर कर प्रयोज्य करना, नाली, पीने के पानी के स्रोत, पानी स्रोत, जानवरों के लिए, सामुदायिक तालाब, चारागाह जमीन, पौधारोपण, जनसुविधाएं, डाकघरों के बारे में, उचित मूल्यों की दुकानें, भंडारगृहों, गोदामों, विद्युत पूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, स्कूलों और शैक्षणिक या प्रशिक्षण सुविधाओं, पुजा स्थलों, दफन और दाह संस्कार भूमि, जीविका विकल्प पर संगठित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के प्रभाव को विचार में लाएगी ।

(3) सर्वे और निर्धारण, राज्य निर्धारण समिति के गठन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा और राज्य निर्धारण समिति द्वारा यथा अपेक्षित सभी संरचना तथ अन्य सुविधाएं बिना किसी विलंब के राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

संगठित और लक्ष्यित सांप्रदायिक हिंसा द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण ।

95. (1) राज्य निर्धारण समिति, सभी व्यक्तियों, जिसमें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति और धारा 87 में उल्लिखित व्यक्ति शामिल हैं, के नामों को रजिस्टर करेगी, जो धारा 9 के अधीन अपराधों के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हुए है, इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाि-त किसी समूह से वे संबंधित है या चाहे नहीं, जब ऐसे किसी अपराध करने की संबंधित सूचना अभिलिखित की गई है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वर्णित व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण राज्य निर्धारण समिति की नियुक्ति के पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा और इस अध्याय के अधीन उपलब्ध मानकों के अनुरूप उचित पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य निर्धारण समिति द्वारा तैयार की गई हकदार व्यक्तियों की सूची में सम्मलित नहीं किए जाने के कारण व्यथित है तो वह ऐसी सूची में अपने नाम को सम्मिलित करने का अनुरोध राज्य निर्धारण समिति को कर सकेगा, और राज्य निर्धारण समिति, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यथित व्यक्ति पीड़ित या आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति या धारा 87 के अधीन हकदार व्यक्ति है तो वह इस प्रकार तैयार की गई सूची में उक्त व्यक्ति के नाम को जोड़ देगा ।

(4) जहां किसी व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची में सम्मिलित करने को राज्य निर्धारण समिति के इंकार करने पर व्यथित व्यक्ति धारा 29 के खंड (ग) के अधीन रा-ट्रीय प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

प्रत्यास्थापन और पुनर्वास ।

96. (1) राज्य सरकार आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों का, चाहे ऐसे व्यक्ति किसी राहत शिविर में रह रहे हों अथवा नहीं, या धारा 87 के अधीन व्यक्तियों का, प्रत्यास्थापन के लिए उपायों को अपनाकर और व्यापक पुनर्वास योजनाओं का कार्यान्वयन करके, प्रत्यास्थापन सुनिश्चित करेगी :

परंतु पुनर्वास की प्रक्रिया ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण भागदारी को सुनिश्चित करेगी :

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्तियों का पुनर्वास उनके द्वारा पूर्णतया स्वैच्छिक के रूप में घोि-त किया जाता है :

परंतु यह भी कि इस धारा में यथा उपबंधित पुनर्वास रा-ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार धारा 94 के अधीन राज्य निर्धारण समिति द्वारा संचालित किए गए सर्वे के आधार पर उक्त सुधार करेगी ।

(2) प्रत्यास्थापन और पुनर्वास में सम्मिलित होंगे :

(क) संगठित सांप्रदायिकता और लक्ष्यित हिंसा द्वारा प्रभावित जीविका के घरों, निवासों और स्थानों को धारा 95 के अधीन हकदार परिवार या व्यक्तियों का पुनर्वास करना, या तो विद्यमान स्थानों पर या ऐसे नए स्थानों पर, यथास्थिति, ऐसी हिंसक घटना के पहले स्तर से कम की उनको पुनःस्थापित नहीं किया जाता है या उसी के लिए उचित भूमि की नई पुनर्वास कालोनी या आबंटन करके, नया निर्माण करना है ;

(ख) नियोजन, प्रर्त्यावतन या वैकल्पिक नियोजन का उपबंध करना, जिसके अंतर्गत जहां आवश्यक हो, जीविका के उपकरण या सुलभ ऋण का उपबंध करना भी सम्मिलित है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उक्त अपराध करने के दौरान पुजा स्थलों या पवित्र स्थानों की क्षति या विनाश किए गए स्थानों का सुधार और मरम्मत करना तथा धारा 95 के अधीन सूचीबद्ध ऐसे व्यक्तियों द्वारा यथा निवेदन करने पर पुनर्वास कालोनियों में पुजा स्थलों के स्थानों का सन्निर्माण करना ;

(घ) संगठित सांप्रदायिकता और लक्ष्यित हिंसा की घटना से पहले की विद्यमान दशाओं के समान सभी नागरिक सुविधाओं और लगभग मूल आवास का पुनःस्थापित करना, या, यथास्थिति, नई पुनर्निर्धारण स्थलों या कालोनियों में नागरिक सुविधाओं का उपबंध करना ;

(ङ) सभी समुदाय की संरचनाओं, उनकी मूल दशाओं का पुनर्निर्माण करना, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों तथा जीविका के दौरान विनाश या क्षति या, यथास्थिति, पुनर्निर्धारण स्थलों और कालोनियों में नई सामुदायिक संरचना का निर्माण करना ;

(च) सभी के लिए और विशि-टतया लैंगिक हमले के लिए दीर्घकालिक मनःचिकित्सा ;

(छ) महिलाओं के पुनर्वास, जिसके अंतर्गत विधवा महिला, समुदाय आधारित पुनर्वास भी है, के लिए आवश्यक और समुचित उपबंध ;

(ज) धारा 95 के अधीन सूची में अभिज्ञात बालकों के पुनर्वास, जिसके अंतर्गत अनाथों के लिस समुदाय आधारित पुनर्वास भी है, के लिए समुचित उपबंध और उनकी सतत शिक्षा के लिए समुचित ठहराव ।

वापसी के लिए समर्थ बनाने वाली दशाओं को स्थापित करने का कर्तव्य ।

97. यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, धारा 95 के अधीन सूचीबद्ध आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को उनके मामूली रूप से निवास या आजीविका के स्थान पर सुरक्षित और सम्मान के साथ, किसी भी धमकी, अभित्रास या उनके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति पर किसी आक्रमण से संरक्षित वापस लौटने के लिए परिस्थितियां तैयार करेगी और इस संबंध में साधनों का उपबंध करेगी, किंतु यह कि :

(क) ऐसी वापसी पूरे तौर पर स्वैच्छिक रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा सभी दशाओं में घोनित की जाएगी ;

(ख) संबंधित लोक प्राधिकारी उनकी वापसी या पुनर्वास की योजना और प्रबंध में

राहत शिविरों में सभी व्यक्तियों के निवास में पूर्ण भागीदार सुनिश्चित करेंगे ।

साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति ।

98. राज्य निर्धारण समिति को निम्नलिखित वि-नयों के संबंध में उनके कृत्यों को कार्यान्वित करते समय, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :--

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ;

(ङ) कोई अन्य वि-नय, जो विहित किया जाए ।

प्रतिकर ।

99. (1) यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 87 के अधीन वर्णित किसी व्यक्ति व्यक्ति या किसी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति, चाहे ऐसा व्यक्ति राहत शिविर में रहता है अथवा नहीं, को धारा 100 के अधीन सिद्धांतों के अनुसरण में, धारा 104 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई जिला निर्धारण समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन यथा निर्धारित और अनुसूची 4 के अनुसरण में उपयुक्त प्रतिकर उपलब्ध कराए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर निम्नलिखित रीति में किया जाएगा :

(क) सांप्रदायिक लक्ष्यित हिंसा की, चाहे संगठित हो या नहीं, घटना की तारीख से तीस दिन के भीतर, इस अधिनियम की अनुसूची 4 के अनुसार न्यूनतम अनुग्रहपूर्वक प्रतिकर ;

परंतु क्षति, जिसका परिणाम मृत्यु हो, के लिए प्रतिकर पंद्रह लाख रुपए से अन्यून नहीं होगी :

परंतु यह और कि संबंधित सरकार, किसी अप्राप्तवय की दशा में और किसी स्त्री की दशा में, ऐसी स्त्री की सहमति से इस प्रकार अनुदत्त अनुग्रहपूर्वक प्रतिकर को, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय या ऐसी स्त्री के नाम पर बैंक खाते में जमा करके मासिक पेंशन के रूप में प्रदान कर सकेगी :

परंतु यह और कि आवश्यकता की दशा में अप्राप्तवय का अभिभावक जिला न्यायालय को धन के आहरण के लिए आवेदन कर सकेगा :

परंतु यह भी कि अनुसूची 4 के अधीन प्रतिकर केन्द्रीय सरकार रा-ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श द्वारा प्रत्येक तीन व-र्ा से पुनरीक्षित करेगी और उक्त पुनरीक्षण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रकाशित होगा ;

(ख) उपर्युक्त खंड (क) के अधीन संदत्त प्रतिकर के अतिरिक्त जो जिला निर्धारण समिति द्वारा इस अध्याय में अंतर्वि-ट उपबंधों के अनुसरण में निर्धारित प्रतिकर ऐसे व्यक्ति को संदत्त होगा :

परंतु ऐसे अतिरिक्त प्रतिकर का अवधारण करने के लिए, केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा प्रतिकर की रकम निकालने के लिए गुणक पद्धति का सृजन या धारा 101 को विचार में लेने के लिए विधि में ज्ञात किसी अन्य पद्धति का सृजन कर सकेगी ।

प्रतिकर के निर्धारण के लिए सिद्धांत ।

100. (1) जब जिला निर्धारण समिति, धारा 99 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रतिकर का अवधारण करती है तो वह धारा 87 जिसके अंतर्गत धारा 95 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, के अधीन हकदार व्यक्तियों के विरूद्ध धन मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की रकम ऐसी होगी कि किसी व्यक्ति को आवासन, आवास, जीवन यापन के साधन और आर्थिक मानक जिसके अंतर्गत सभी सामाजिक और नागरिक सुविधाएं भी हैं जो वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने से पहले वह उपभोग कर रहा था उसके समकक्ष या उससे अधिक होंगी ।

(3) जब जिला निर्धारण समिति धारा 99 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिकारों के उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और उसकी गंभीरता के अनुपात में प्रतिकर का अवधारण करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए संपत्ति को क्षति के कारण हुई हानि के लिए युक्तियुक्त प्रतिकर ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णित होगा जिसके लिए उसके मूल दशा में उसकी संपत्ति का पुनर्निमाण या पुनस्थापित करने के लिए समर्थ होगा ।

निर्माण के लिए प्रतिकर ।

101. प्रतिकर का निर्धारण अनुसूची 4 के अधीन संदत्त प्रतिकर के अतिरिक्त निम्नलिखित के निर्माण के लिए होगा,--

(क) सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ;

(ख) निजी संपत्ति को क्षति ;

(ग) किसी व्यक्ति को कारित शारीरिक क्षति या मृत्यु ;

(घ) नैतिक क्षति ;

(ङ) सामग्री की क्षति और उपार्जन की हानि जिसके अंतर्गत नियोजन, शिक्षा और सामाजिक प्रसुविधाओं के अवसर के हानि भी हैं ;

(च) ऐसे व्यक्ति को कारित मनोवैज्ञानिक क्षति ;

(छ) प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा किए गए निरोधात्मक और अन्य कार्रवाइयों द्वारा किए गए कार्रवाइयों का लागत ;

(ज) विधिक या विशे-ज्ञ सहायता, चिकित्सीय और चिकित्सा सेवाएं तथा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेवाओं के लिए अपेक्षाएं ।

जिला निर्धारण समिति ।

102. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले के संबंध में एक जिला निर्धारण समिति स्थापित करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे अभिहित ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगी और ऐसे कृत्यों के अनुपालन में राज्य निर्धारण समिति को सहायता प्रदान करेगी ।

(2) जिला निर्धारण समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) जिला का, यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त -- अध्यक्ष पदेन

(ख) जिला का मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य

(ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट सदस्य

(घ) किसी समूह का एक सम्मानित नागरिक सदस्य :

परंतु सभी समयों में कम से कम एक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी है, एक महिला होगी ।

जिला निर्धारण समिति के कृत्य ।

103. (1) जिला निर्धारण समिति, इस अधिनियम के अधीन उसे अभिहित कृत्यों का अनुपालन करेगी और इस अधिनियम के अधीन समप्रत्यावार्तन के लिए विभिन्न विभागों और विद्यमान निकायों जैसे रा-ट्रीय आपदा प्रबंध अधिकरण के साथ समन्वय करेगी ।

(2) समुचित सरकार के किसी साधारण या विशे-न आदेश के अधीन रहते हुए जिला निर्धारण समिति निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगी, अर्थात् :--

(क) इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में राहत शिविरों के स्थापना का पर्यवेक्षण ;

(ख) हिंसा के स्थल से आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित अस्थाई आश्रय स्थल या राहत शिविरों में पहुंचाने के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करना और प्रदान करना ;

(ग) पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के विनिर्माण में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ;

(घ) तथ्यों का सत्यापन और पूर्ण सुनिश्चित करना और उस सीमा तक तथ्यों का लोक प्रकटीकरण करना कि ऐसा प्रकटीकरण ऐसे व्यक्ति, साक्षी या व्यक्तियों को जो पीड़ित को सहायता देने में मध्यवर्ती हैं या उल्लंघनों की घटनाओं को रोकते हैं की सुरक्षा और हितों की और हानि या धमकी देने का कारण न हो ;

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो राज्य सरकार या राज्य निर्धारण समिति समय समय पर लिखित में आदेश द्वारा अभिहित करे ;

प्रतिकर के अवधारण और संवितरक के प्राधिकरण ।

104. (1) इस धारा के अधीन प्रतिकर के अवधारण के प्रयोजन के लिए जिला निर्धारण समिति होगी जिसके अंतर्गत एक जिला जज जो जिला निर्धारण समिति का अध्यक्ष होगा ।

(2) अनुसूची 4 में संदत्त प्रतिकर के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन गठित जिला निर्धारण समिति धारा 100 के अधीन उपबंधित सिद्धांतों के अनुसरण में धारा 87 के अधीन हकदार किसी व्यक्ति को प्रतिकर की मात्रा का अवधारण का संदाय करेगी ।

(3) उपधारा (1), उपधारा (2) के अधीन गठित जिला निर्धारण समिति द्वारा हकदारी के आधार पर किए गए निर्धारण के साथ और ऐसे पीड़ित को या प्रभावित व्यक्ति को हकदारी के सूची की विवरणी के साथ एक प्रमाणपत्र के रूप में भी प्रदान करेगी तथा जिसमें वितरण के लिए समय सूची भी अधिसूचित होगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन संदेय रकम राज्य सरकार द्वारा जिला निर्धारण समिति द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि से अन्यून संदेय होगी जब तक कि ऐसी विस्तारित अवधि राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए अधिसूचित हैं, संवितरित होगी ।

अवधारण के लिए अपील ।

105. धारा 87 के अधीन राहत का हकदार कोई व्यक्ति धारा 104 के अधीन जिला निर्धारण समिति द्वारा किए गए निर्धारण से संतु-ट नहीं होता है अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित रीति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

इस अध्याय के अधीन व्यक्तियों

106. (1) धारा 87 के अधीन राहत का हकदार कोई व्यक्ति जिला निर्धारण समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संगठित सांप्रदायिक या लक्षित हिंसा या किसी अन्य अपराध के किसी

के अधिकार ।

परिणाम से अपहानि से पीड़ित होने के लिए प्रतिकर प्राप्त करने के लिए उसकी प्रक्रिया मौखिक और लिखित रूप से सूचना का हकदार होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति को सभी सहायता उसके दावे को करने के लिए प्रदान करेगी ।

(2) नकद प्रतिकर की प्राप्ति के लिए महिलाओं और बालकों को उसके दुरूपयोग या अभित्रास के परिणामस्वरूप परामर्श और संरक्षण होगा ।

(3) धारा 104 के अधीन प्रतिकर के समयबद्ध संवितरण के किसी व्यतिक्रम की दशा में उपधारा (1) के अधीन वर्णित व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि वह रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को शिकायत करने का अधिकार होगा जो दावों के अंतिम संकल्प तक इन शिकायतों को मानीटर करेगा ।

प्रत्यासन का अधिकार ।

107. प्रतिकर के संदाय पर, यथास्थिति, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार धारा 87 के अधीन हकदार सभी व्यक्तियों के अधिकारों का प्रत्यासन कर सकेगी और विधि के अनुसरण में जीवन की हानि, स्वतंत्रता या संपत्ति या कोई अन्य हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त रकम के दावों का हकदार होगा ।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के निमित्त दावे ।

108. धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन संगठित सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा द्वारा कारित हानि या क्षति का किसी निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य निर्धारण समिति निम्नलिखित का विचार करेगी :

(क) सरकार, सरकार के नियंत्रणाधीन, स्थानीय प्राधिकारियों का व्यय और धारा 95 के अधीन सूचीबद्ध व्यक्तियों को संस्थाओं द्वारा राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने में प्रोदभूत व्यय ;

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा संगठित सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा, जिसके अंतर्गत ऐसे संगठित सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा के परिणामस्वरूप या संबंधित सभी स्थानीय और प्रशासनिक व्यय भी हैं, के निवारण के लिए प्रोदभूत सभी प्रशासनिक व्यय ;

(ग) सरकार और सरकार के नियंत्रणाधीन प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकारियों से प्रोदभूत या ऐसे संगठित सांप्रदायिक या लक्षित हिंसा से संबंधित राजस्व की हानि से संबंधित व्यय ;

(घ) प्राणी समूह, जिसके अंतर्गत दूधारू और बिना दूध देने वाले पशु भी हैं, की हानि के मद्दे व्यय ;

(ङ) वनस्पति जगत, जिसके अंतर्गत कृनि फसल, वनस्पतियां, पेड़, फलोद्यान भी हैं, की क्षति के मद्दे व्यय ;

(च) पर्यावरण, जिसमें मृदा, वनस्पति और प्राणी तथा जल प्रणालियों का प्रदू-ण भी है, को क्षति मद्दे व्यय ;

(छ) संपत्ति की क्षति और उसके ध्वंस से संबंधित व्यय ;

(ज) कारबार या नियोजन या दोनों की हानि से संबंधित व्यय ;

(झ) क्षतियों जो संगठित सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा के मद्दे पीड़ित होने की संभावना है, के संबंध में व्यय ;

(ञ) कोई अन्य व्यय या व्ययों जिसे राज्य निर्धारण समिति संगठित सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा से उत्पन्न हुए हों या उससे संबंधित हों, कारणों को लेखबद्ध करते हुए

अवधारित करे ।

सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा राहत और पुनर्वास निधि की स्थापना ।

109. (1) केन्द्रीय सरकार, रा-ट्रीय प्राधिकरण की सलाह पर, भारत की संचित निधि से तत्काल पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के लिए क्षतिपूर्ति के तत्काल वितरण के लिए एक सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा राहत और पुनर्वास निधि उपलब्ध कराएगी और ऐसी उपलब्ध कराई गई निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऐसी निधि से वसूली योग्य होगी ।

(2) उक्त निधि की रकम, यथास्थिति, राज्य निर्धारण समिति और जिला निर्धारण समिति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुप्रयुक्त होगी :

(क) जिला निर्धारण समिति को रजिस्ट्रीकृत दावों के निपटान में रकम का संवितरण ;

(ख) अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराए गए राहत, पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के लिए निधि के भाग का आबंटन ।

(3) ''निधि'' जुर्माना होगा जो कि अधिनियम के अधीन उदगृहीत हो सकेगा ।

पुनरावृति न होने की गारंटी ।

110. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपराधों की पुनरावृति न होने के समाधानप्रद और गारंटी सुनिश्चित और सभी उपाय करे जिसके अंतर्गत जहां तक लागू हो निम्नलिखित कोई या सभी सम्मिलित हैं :

(क) लगातार अतिक्रमण की समाप्ति ;

(ख) जो मर गए हैं या खो गए हैं उनके शरीरों की खोज करना और परिवार और उनकी पहचान करने में सहायता करना तथा समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसरण में शरीर की पुनः अंत्येन्ठि करना ;

(ग) पीड़ितों की न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करना ;

(घ) पीड़ितो को स्मरणोत्सव और श्रद्धांजलि देना ;

(ङ) ऐसे साधनों द्वारा अतिक्रमण की घटना की पुनरावृति को रोकना:

(i) विधिक, मीडिया के व्यक्तियों और अन्य संबंधित वृतिकों तथा मानव अधिकार समर्थकों को संरक्षण देना ;

(ii) समाज के सभी वर्गों विशे-तया सेना और सुरक्षा बलों तथा विधि प्रवर्तन पदधारियों को मानव अधिकारों का प्रशिक्षण प्राथमिकता और लगातार आधार पर देना और सुदृढ़ करना ;

(iii) आचार संहिता और नैतिक मानकों विशि-टतया अंतर्रा-ट्रीय मानकों, लोक सेवकों द्वारा जिसके अंतर्गत विधि प्रवर्तक सुधारात्मक, मीडिया, चिकित्सा, मनौवैज्ञानिक, सामाजिक सेवा और सैनिक कार्मिकों के साथ--साथ आर्थिक उद्यमों के कर्मचारिवृंद भी हैं के पर्यवेक्षण का संवर्धन करना ।

अध्याय 8

शास्तियां

लैंगिक आक्रमण के लिए दंड ।

111. जो कोई लैंगिक आक्रमण करता है, निम्नलिखित से दंडनीय होगा--

(क) जहां धारा 6 के खंड (क) के उपखंड (i) और धारा 7 के खंड (क) के उपखंड (i) में अंतर्वि-ट किसी कार्य को करता है तो कठोर कारावास से, जिसकी अवधि

सात वर्ष से कम न होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(ख) जहां धारा 7 के खंड (क) के उपखंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी कार्य को करता है तो कठोर कारावास से जिसकी अवधि इसवर्ष से कम न होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(ग) जहां धारा 7 के खंड (क) के उपखंड (iii) में अंतर्विष्ट किसी कार्य को करता है तो कठोर कारावास से जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम न होगी किन्तु जो आजीवन कारावास के लिए हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(घ) जहां धारा 7 के खंड (ख) के उपखंड (ii) से (vi) में अंतर्विष्ट किसी कार्य को करता है तो कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम न होगी किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

घृणात्मक प्रचार के लिए दंड ।

112. घृणात्मक प्रचार का अपराध, कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा ।

संगठित सांप्रदायिक और लक्ष्यित हिंसा के लिए दंड ।

113. जो कोई संगठित लक्षित हिंसा कारित करता है कठोर आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों को करने में किसी प्रकार के वित्तीय, सामग्री की सहायता करने के लिए दंड ।

114. जो कोई धारा 10 के अधीन अपराध के लिए दोषी है किसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो तीन वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने का दायी होगा ।

अनुसूची 2 के अधीन अपराधों के लिए दंड ।

115. जब अनुसूची 2 के अधीन कोई अपराध कारित किए जाते हैं, वे भारतीय दंड संहिता, 1860 में उपबंधित शास्ति से दंडनीय होंगे ।

यंत्रणा के लिए दंड ।

116. जो कोई यंत्रणा कारित करता है वह किसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो सात वर्ष से कम का न होगा किन्तु आजीवन कारावास का हो सकेगा और जुर्माने का दायी होगा ।

कर्तव्यों की अवहेलना के लिए दंड ।

117. जो कोई लोक सेवक होने के कारण कर्तव्यों की अवहेलना के लिए दोषी है दो वर्ष के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी से दंडनीय होगा और जुर्माने का दायी होगा ।

कमांड उत्तरदायित्वों के भंग के लिए लोक सेवक द्वारा अपराध के लिए दंड ।

118. जो कोई धारा 14 के अधीन किसी अपराध का दोषी है कठोर आजीवन कारावास से दंडनीय होगा जब ऐसी असफलता संगठित लक्षित हिंसा से संबंधित हो और अन्य मामलों में दस वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

कमांड उत्तरदायित्वों के भंग के लिए अन्य वरिष्ठों द्वारा

119. जो कोई धारा 15 के अधीन किसी अपराध का दोषी है कठोर आजीवन कारावास से दंडनीय होगा जब ऐसी असफलता संगठित लक्षित हिंसा से संबंधित हो और अन्य मामलों में दस वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

अपराध के लिए दंड ।

प्रयत्न के लिए दंड ।

120. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है या किए जाने वाला ऐसा प्रयत्न कारित करता है और ऐसे प्रयत्न में अपराध के किए जाने के लिए कोई कार्य करता है तो वह अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा ।

दु-प्रेरण के लिए दंड ।

121. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दु-प्रेरण करता है, यदि दु-प्रेरित कार्य दु-प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा ।

तैयारी के लिए दंड।

122. यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात को करने की या उसे न करने की तैयारी करता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध गठित करती है और मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगाया जाए कि वह अपराध को करने के अपने आशय को कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प था परंतु उसे उसकी इच्छा से निर्बाध परिस्थितियों द्वारा निवारित किया गया था तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय होगा या होगी जो न्यूनतम अवधि (यदि कोई हो) का एक बटा दो भाग से कम नहीं होगी परंतु जो ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि के एक बटा दो भाग तक की हो सकेगी जिससे वह ऐसे अपराध को उसके द्वारा किए जाने की दशा में दंडनीय होता या होती और ऐसे जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जो उस जुर्माने की रकम की (यदि कोई हो) अधिकतम रकम के एक बटा दो भाग से कम का नहीं होगा जिससे वह दंडनीय होता या होती परंतु जो ऐसे जुर्माने की अधिकतम रकम के एक बटा दो भाग तक का हो सकेगा जिससे वह पूर्वोक्त दशा में मामूली तौर पर (अर्थात् विशे-न कारणों के अभाव में) दंडनीय होता या होती :

परंतु न्यायालय, उन कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएं, अधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।

सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य ।

123. जब कोई आपराधिक कार्य सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उसी रीति में उस कार्य के लिए दायी होगा मानो उसे उसके द्वारा अकेले किया गया हो ।

जुर्माने का अवधारण ।

124. जुर्माने का अवधारण करते समय इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पदाभिहित न्यायाधीश अपराध की गंभीरता, धारा 94 के अधीन राज्य मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित नुकसान और धारा 99 के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा संदत्त प्रतिकर और धारा 104 के अधीन जिला मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित प्रतिकर पर विचार करेगा ।

अन्य उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना ।

125. इस अध्याय के अधीन उपबंधित शास्तियों का उन अन्य उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो किसी पीड़ित व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राप्त हों ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

संगठित, सांप्रदायिक और लक्ष्यांकित हिंसा के लिए परिसीमा का लागू न होना ।

126. धारा 9 के अधीन संगठित और लक्ष्यांकित हिंसा के अपराध के लिए और उक्त अपराध के कारण अधिरोपित दंडादेश के नि-पादन के लिए अभियोजन किसी परिसीमा के अध्यधीन नहीं होगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

127. ऐसी किसी बात के संबंध में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य के या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण के निदेशाधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी रिपोर्ट पत्र या कार्यवाही के प्रकाशन की बाबत सद्भावपूर्वक किया गया है या किए जाने के लिए आशयित है :

परंतु यह धारा ऐसे लोक सेवक को लागू नहीं होगी जिस पर धारा 13 के अधीन कर्तव्य की अवहेलना का आरोप है ।

सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

128. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत रा-ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

सरकार के कर्तव्य ।

129. केंद्रीय सरकार, राज्य प्राधिकरण और राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि,--

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का सार्वजनिक मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिन्ट मीडिया भी है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है ;

(ख) सभी लोक सेवकों को, जिनमें पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम द्वारा समाधान किए गए मुद्दों पर आवधिक सुग्राहीकरण और जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) साम्प्रदायिक और लक्ष्यांकित हिंसा के मुद्दे का समाधान करने के लिए विधि, गृह मामले जिनमें विधि--व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा मानव संसाधन भी हैं, के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबद्ध मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाता है और उनका आवधिक पुनर्विलोकन संचालित किया जाता है ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

130. (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनयम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशि-टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-नयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) रा-ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ;

(ख) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएं और अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते;

(ग) रा-ट्रीय प्राधिकरण के कोई अन्य कृत्य या शक्ति ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें लेखाओं के वार्-िक विवरण रा-ट्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने हैं ; और

(ड) कोई अन्य वि-नय जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा

जाएगा । वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नि-प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या नि-प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

131. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशि-टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं वि-नयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ;

(ख) ऐसी शर्तें जिनके अधीन रहते हुए अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएं और राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्दों के वेतन तथा भत्ते;

(ग) वह प्ररूप जिसमें लेखाओं के वार्-िक विवरण राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने हैं ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधान--मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान--मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

रा-ट्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

132. रा-ट्रीय प्राधिकरण को अपनी ही प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी ।

राज्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

133. राज्य प्राधिकरण को अपनी ही प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

134. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो व-र्ा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के शीघ्र पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना ।

135. *इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में और उसमें की कोई बात किसी लोक सेवक को ऐसी कार्यवाही से छूट नहीं देगी जो इस अधिनियम के अलावा उसके विरुद्ध संस्थित की गई हो ।*

अनुसूची 1

निम्नलिखित के अधीन गठित सशस्त्र बल और सुरक्षा बल :--

(क) वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) ;

(ख) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) ;

(ग) आसाम राइफल अधिनियम, 2006 (2006 का 47) ;

(घ) बम्बई होम गार्ड अधिनियम, 1947;

(ङ) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) ;

(च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) ;

(छ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66)

(ज) तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) ;

(झ) दिल्ली विशे-ा पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) ;

(ञ) भारत--तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) ;

(ट) नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) ;

(ठ) रा-ट्रीय अन्वे-ाण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34)

(ड) रा-ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47) ;

(ढ) रेल संरक्षा बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) ;

(ण) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) ;

(त) विशे-ा संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 (1988 का 34) ;

(थ) प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) ;

(द) राज्य की सिविल शक्तियों की सहायता के लिए राज्य विधियों के अधीन गठित और अन्दरूनी उपद्रवों या अन्यथा के दौरान बल प्रयोग के लिए सशक्त राज्य पुलिस बल (जिसके अन्तर्गत सशस्त्र पुलिस भी है) जिसके अन्तर्गत सशस्त्र बल (विशे-ा शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभा-ित सशस्त्र बल भी हैं ।

अनुसूची 2

भाग क

भारतीय दंड संहिता, 1860

धारा	अपराध का वर्णन
153ख	रा-ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान ।
295	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना ।
295क	विमर्शित और विद्वे-नपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों ।
296	धार्मिक जमाव में विध्न करना ।
297	कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना ।
298	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि ।

भाग ख

भारतीय दंड संहिता, 1860

धारा	अपराध का वर्णन
120	कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना ।
141	विधिविरुद्ध जमाव ।
142	विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना ।
144	घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना ।
145	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके विखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या बने रहना ।
146	बल्वा करना ।
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना ।
149	विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दो-ी ।
150	विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता ।
151	पांच या अधिक व्यक्तियों को जमाव को विखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना ।
152	लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना ।

153	बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना -- यदि बल्वा किया जाए -- यदि बल्वा न किय जाए ।
154	उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है ।
156	उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किय जाता है ।
157	विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लिए गए व्यक्तियों के संश्रय देना ।
322	स्वेच्छया घोर उपहित कारित करना ।
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहित कारित करना ।
336	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो ।
337	ऐसे कार्य द्वारा उपहित कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए ।
302	हत्या ।
307	हत्या करने का प्रयत्न ।
375	बलात्संग ।
376	बलात्संग के लिए दंड ।
396	हत्या सहित डकैती ।
397	मृत्यु या घोर उपहित कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती ।
435	सै रुपए का या (कृनि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिन्टि ।
436	गृह आदि को न-ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिन्टि ।

बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951

धारा	अपराध का वर्णन
135	धारा 37, धारा 39 और धारा 40 के अधीन नियम या निदेशों के अतिलंघन के लिए दंड ।

अनुसूची 3

भारतीय दंड संहिता, 1860

धारा	अपराध का वर्णन
191	मिथ्या साक्ष्य देना ।
192	मिथ्या साक्ष्य गढ़ना ।
194	मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दो-नसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।
	यदि निर्दो-न व्यक्ति एतद्द्वारा दो-नसिद्ध किया जाए और उसे फांसी दी जाए ।
195	अपराध के लिए दो-नसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।
195क	मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना ।
196	उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है ।
197	मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना ।
198	प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना ।
199	ऐसी घो-णा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन ।
200	ऐसी घो-णा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना ।
201	अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना ।
202	इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप ।
203	इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा किसी अपराध के वि-नय में मिथ्या इत्तिला देना ।
204	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको न-ट करना ।
205	वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरुपण ।
211	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप ।
212	अपराधी को संश्रय देना ।
216	ऐसे अपराधी का संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है ।
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचान के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा ।
218	किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से

	लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना ।
219	न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्र-टतापूर्वक किया जाना ।
220	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपर्दगी ।
221	पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का आशय लोप ।
222	दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप ।
223	लोक सेवक द्वारा अपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना ।
225क	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना ।
228	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा	कर्तव्य
107	अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति
108	देशद्रोही सामग्री का प्रसार करने वाले व्यक्तियों के सदव्यवहार के लिए प्रतिभूति
109	संदिगध व्यक्तियों से सदव्यवहार के लिए प्रतिभूति
143	मजिस्ट्रेट लोक अपदू-ाण का दोहराव या उसके निरंतर रहने की प्रतिषिद्ध कर सकेगा
144	अपदू-ाण या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति
145	जहां भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है, वहां प्रक्रिया
146	विवाद की वि-नयवस्तु को कुर्क करने और प्रापक नियुक्त करने की शक्ति
147	भूमि या जल का उपयोग करने का अधिकार से संबंधित विवाद
148	स्थानीय जांच
149	पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों का निवारण
150	संज्ञेय अपराध कारित करने के अभिकल्पन की सूचना
151	संज्ञेय अपराध करने से निवारित करने के लिए गिरफतारी
152	लोक संपत्ति को क्षति होने से रोकना

अनुसूची 4
प्रतिकर

क्र.सं.	अपराध	प्रतिकर
1	मृत्यु	न्यूनतम 15 लाख रुपय का प्रतिकर
2	निःशक्तता : (क) स्थायी निःशक्तता: [1] से पीड़ित द्वारा भोगी गई 50 % या उससे अधिक असमर्थता अभिप्रेत है जो स्थायी प्रकृति की है तथा असर्थता की मात्रा में परिवतन की कोई संभावना नहीं है और क्षति/असमर्थता के कारण पीड़ित अपनी शे-न जीवन के लिए सामान्य जीवन जीने के अयोग्य हो जाता है । (ख) आंशिक निःशक्तता : [2]से अस्थायी प्रकृति की निःशक्तता अभिप्रेत है जैसे निःशक्तता जो किसी व्यक्ति की किसी नियोजन में कमाने की क्षमता को घटा देती है जिसमें पीड़ित हिंसा, जिसके कारण निःशक्तता हुई, के समय लगा हुआ था ।	न्यूनतम 5 लाख रुपय का प्रतिकर न्यूनतम 3 लाख रुपय का प्रतिकर
3	गंभीर क्षति	2 लाख रु0
4	आपराधिक अतिचार	2 लाख रु0
5	अपहरण और व्यवहरण	2 लाख रु0
6	बलात्संग	5 लाख रु0 का न्यूनतम प्रतिकर
7	यौन हिंसा के अन्य रूप	4 लाख रु0 का न्यूनतम प्रतिकर
8	मानसिक उतपीड़न, अवसाद और मनोविज्ञानिक अपहानि	3 लाख रु0
9	स्थावर संपत्ति का नाश : (क) गृह का पूर्ण या आंशिक नाश	सांप्रदायिक हिंसा के समय मंहगाई के साथ समायोजित संपत्ति का मूल्य ।
	(ख) दुकान और अन्य स्थावर संपत्ति जैस शेड और गौदाम का पूर्ण या आंशिक नाश	सांप्रदायिक हिंसा के समय मंहगाई के साथ समायोजित संपत्ति के मूल्य के अध्यधीन 1 लाख रुपय का न्यूनतम प्रतिकर ।
10	जंगम संपत्ति का नाश--कार, माल आदि	
11	बलात विस्थापन और अधिभोग (क) निवास स्थान, दुकान और अन्य स्थावर संपत्ति से बलात विस्थापन (ख) प्रायिक निवास, दुकाने और अन्य स्थावर संपत्ति का बलकृत अधिभोग	
12	अवसर की हानि	

1. आतंकवादी सांप्रदायिक और नक्सल हिंसा के पीड़ित नागरिकों को सहायता के लिए केन्द्रीय स्कीम, 2009 से अंगिकृत ।
2. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 2(छ) से अंगीकृत ।